उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग-2
संख्या- 1178 /36-2-2026-1394213
लखनऊ, दिनांक : 16 अक्टूबर, 2026

चूंकि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) की धारा 99 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 का प्रारूप सरकारी गजट में अधिसूचना संख्या-251/36-2-2026, दिनांक 10-03-2026 द्वारा, उससे सम्भावित रूप से प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों से उस दिनांक जिससे उक्त अधिसूचना से युक्त गजट जनसामान्य को उपलब्ध कराया गया था, से तीस दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और चूंकि पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 10 मार्च, 2026 को जनसामान्य के लिए उपलब्ध कराई गई थी;

और चूंकि व्यक्तियों/संगठनों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक विचार किया गया है;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 24 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) की धारा 99 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और

(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1946;
(2) उत्तर प्रदेश व्यवसाय संघ विनियमावली, 1927;
(3) औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1957;
(4) उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध नियमावली, 2021;

का सिवाय उन बातों का अधिक्रमण करके, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी हो या करने से लोप की गई हो, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026

अध्याय-एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2. (1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) "संहिता" का तात्पर्य औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) से है;

(ख) "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" का तात्पर्य ई-मेल द्वारा प्रस्तुत की गयी या अभिहित पोर्टल पर अपलोड की गई किसी सूचना या संहिता के प्रयोजनार्थ किसी भी रीति से कृत डिजिटल संदाय से है।

(ग) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली की अनुसूची में संलग्न प्रपत्र से है;

(घ) "धारा" का तात्पर्य संहिता की धारा से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु संहिता में परिभाषित शब्दों और पदों के उनके अपने-अपने अर्थ होंगे, जैसा कि संहिता में उनके लिए समनुदेशित है।

धारा 2 के खंड (य झ) के अधीन समझौता हेतु लिखित करार

3. **समझौता ज्ञापन-**

(1) सुलह कार्यवाही के दौरान किया गया समझौता या सुलह कार्यवाही के अलावा नियोजक और कर्मकार के बीच किया गया लिखित करार प्रपत्र–एक में होगा।

(2) समझौते पर निम्नलिखित के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे:-

(क) नियोजक द्वारा या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, या जहां नियोजक एक निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय है, ऐसी कंपनी या ऐसे अन्य निगमित निकाय के अभिकर्ता, प्रबंधक या अन्य प्रमुख अधिकारी द्वारा; और

(ख) कर्मकारों की ओर से, व्यवसाय संघ के निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसी एक द्वारा, अर्थात-

(एक) अध्यक्ष; या

(दो) उपाध्यक्ष; या

(तीन) सचिव (महासचिव सहित); या

(चार) संयुक्त सचिव; या

(पांच) व्यवसाय संघ का कोई अन्य पदाधिकारी जिसे संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो; या

(छह) इस प्रयोजन के लिए आयोजित कर्मकारों की बैठक में इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कर्मकारों के पांच प्रतिनिधि।

(3) किसी व्यक्तिगत कर्मकार और नियोजक के बीच औद्योगिक विवाद की स्थिति में, समझौते पर नियोजक और संबंधित कर्मकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) जहां समझौता सुलह कार्यवाही के दौरान किया जाता है, वहां सुलह अधिकारी विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की एक प्रति के साथ राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजेगा।

(5) जहां समझौता सुलह कार्यवाही के अलावा किसी अन्य तरीके से नियोजक और उसके कर्मकार के बीच समझौता किया जाता है, तो समझौते के पक्षकार संयुक्त रूप से इसकी एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संबंधित अपर/उप श्रम आयुक्त और सुलह अधिकारी को भेजेंगे।

(6) सुलह अधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर क्षेत्र में औद्योगिक विवादों के संबंध में संहिता के अधीन किए गए सभी समझौतों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(7) उप-नियम (6) में निर्दिष्ट रजिस्टर में क्रम संख्या, उद्योग का नाम, समझौते के पक्षकार, समझौते की तारीख, टिप्पणियां और समझौता सुलह अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद या आपसी बातचीत से हुआ या नहीं, सहित ब्यौरे होंगे;

परन्तु यह कि समझौते पर सुलह अधिकारी का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होगा, जहां समझौते के लिए करार सुलह के बाहर किया गया हो;

परन्तु यह और कि इस नियम में कोई भी बात किसी कर्मकार या कर्मकारों या व्यवसाय संघ और नियोजक के बीच परस्पर सहमत निबंधनों पर किए गए समझौते पर प्रतिषेध नहीं करेगी और ऐसा समझौता प्रपत्र–एक के अलावा किसी अन्य प्रारूप में हो सकता है।

अध्याय-दो
द्विपक्षीय मंच

धारा 3 के अधीन संकर्म समिति का गठन आदि

4. **(1) संकर्म समिति का गठन**: प्रत्येक नियोजक, जिसके लिए धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कृत आदेश लागू होता है, तत्काल निम्नलिखित उपनियमों में यथा विनिर्दिष्ट रीति से एक संकर्म समिति (जिसे आगे इस नियम में "समिति" कहा गया है) का गठन करने की कार्यवाही करेगा।

(2) सदस्यों की संख्या: समिति में सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाएगी जिससे कि औद्योगिक अधिष्ठान के खण्डों, दुकानों या विभागों और तद्-निमित्त संलग्न कर्मकारों की विभिन्न श्रेणियों, समूहों और वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके;

परन्तु यह कि संकर्म समिति के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक नहीं होगी;

परन्तु यह और कि संकर्म समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या उसमें नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या से कम न हो;

परन्तु यह भी कि जिस औद्योगिक अधिष्ठान जिसमें महिला कर्मकार नियोजित है, उसकी संकर्म समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक अधिष्ठान में नियोजित कुल कर्मकारों में महिला कर्मकारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

(3) नियोजक का प्रतिनिधित्व: इस नियम के उपबंधो के अध्यधीन, संकर्म समिति में नियोजक के प्रतिनिधियों का नामनिर्देशन नियोजक द्वारा किया जाएगा और यथाशक्य संभव, वे ऐसे पदाधिकारी होंगे जो औद्योगिक अधिष्ठान की कार्यप्रणाली के सीधे सम्पर्क में होंगे या सम्बद्ध होंगे।

(4) व्यवसाय संघ से परामर्श: जहां औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मकार रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सदस्य हैं, नियोजक ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ से लिखित रूप से सूचित करने के लिए कहेगा –

(क) उन कर्मकारों की संख्या जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के सदस्य हैं; और

(ख) जहां नियोजक के पास यह मानने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ द्वारा खंड (क) के अधीन उसे दी गई

जानकारी झूठी है, वह ऐसे व्यवसाय संघ को सूचित करने के बाद मामले को क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को भेज सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) **कर्मकारों के प्रतिनिधियों का समूहः** उप-नियम (4) के अधीन मांगी गई सूचना प्राप्त होने पर, नियोजक निम्नलिखित रीति से समिति के कर्मकारों के प्रतिनिधि के चयन के लिए उपबंध करेगा;

(क) धारा 14 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन वार्ताकारी संघ के मामले में, ऐसी वार्ता करने वाला संघ समिति के कर्मकारों के प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करेगा

(ख) धारा 14 की उप-धारा (4) के अधीन वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामनिर्देशन इस रीति से होगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का प्रतिनिधित्व औद्योगिक अधिष्ठान के उन कर्मकारों की संख्या के अनुपात में समिति में होगा जो ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य हैं;

(ग) जहां खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मकार आपस में समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे;

परन्तु यह कि नियोजक, इस खंड के अधीन समिति के लिए कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया जाएगा, इस बारे में सक्षम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अभिनियोजित कर सकता है;

परन्तु यह भी कि जहां एक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ उप-नियम (4) के अधीन मांगी गई जानकारी को उस दिनांक से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जिस दिन उसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो, इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यवसाय संघ को इस प्रकार माना जाएगा जैसे कि वह अस्तित्व में ही नहीं थाः

परन्तु यह और भी कि जहां नियोजक द्वारा उप-नियम (4) के अधीन कोई संदर्भ दिया गया है, उससे संबंधित कर्मकार प्रतिनिधि को

चुनने की प्रक्रिया संबंधित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के विनिश्चय की प्राप्ति पर आयोजित की जाएगी।

(6) निर्वाचन क्षेत्र: यदि नियोजक उचित समझे तो वह निर्देश दे सकता है कि कर्मकार समूह, अनुभाग, दुकान या विभाग में मतदान करेंगे।

(7) चुनाव के लिए उम्मीदवारों की योग्यता: कोई भी कर्मकार, जिसकी आयु उन्नीस वर्ष से अन्यून हो और जिसने औद्योगिक अधिष्ठान में अन्यून एक वर्ष सेवा की हो, यदि इस नियम में यथा उपबंधित नामनिर्दिष्ट किया जाता है, तो वह समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है;

परन्तु यह कि ऐसी सेवा अर्हता किसी औद्योगिक अधिष्ठान में पहले चुनाव पर लागू नहीं होगी जो एक वर्ष से कम समय से अस्तित्व में है।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, कोई कर्मकार जिसने एक ही नियोजक से संबंधित दो या अधिक औद्योगिक अधिष्ठानों में अन्यून एक वर्ष लगातार सेवा की है, उसे इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अर्हता पूरी करने वाला समझा जाएगा।

(8) मतदाता के लिए अर्हता: सभी कर्मकार जो अन्यून अठारह वर्ष की आयु के हैं और जिन्होंने औद्योगिक अधिष्ठान में अन्यून छह महीने की लगातार सेवा की है, समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के चुनाव में मतदान करने के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण:- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए कोई कर्मकार जिसने एक ही नियोजक से सम्बंधित दो या अधिक औद्योगिक अधिष्ठानों में अन्यून छह माह लगातार सेवा की है, उसे इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अर्हता पूरी करने वाला समझा जायेगा।

(9) चुनाव के लिए कार्यक्रम का निर्धारण:

(एक) समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के रूप में तिथि निर्धारित करते समय नियोजक नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम तीन कार्य दिवसों की न्यूनतम समयावधि में अन्य अपेक्षित विवरणों के साथ देगा।

(दो) खंड (एक) में निर्दिष्ट चुनाव कराने के लिए नियोजक द्वारा निर्धारित तिथि नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के तीन दिन से पहले और पंद्रह दिन के बाद नहीं होगी।

(तीन) खंड (एक) के अधीन निर्धारित चुनाव की तिथि संबंधित कर्मकारों को कम से कम सात दिन पहले अधिसूचित की जाएगी और ऐसी सूचना, जिसमें निर्वाचित होने वाली सीटों की संख्या विनिर्दिष्ट होगी औद्योगिक अधिष्ठान के नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाएगी और कर्मकारों के बीच पर्याप्त प्रचार किया जाएगा।

(10) चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन :

(एक) समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए प्रत्येक नामांकन नियोजक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नामांकन पत्र पर किया जाएगा और नियोजक द्वारा इसकी प्रतियां उन कर्मकारों को दी जाएंगी जिन्हें उनकी आवश्यकता है।

(दो) उप-नियम (10) में निर्दिष्ट प्रत्येक नामांकन पत्र उस अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिससे वह संबंधित है तथा उस समूह, अनुभाग, दुकान या विभाग से संबंधित कम से कम दो अन्य मतदाताओं द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व निर्वाचन चाहने वाला अभ्यर्थी करेगा तथा उसे नियोजक को सौंपा जाएगा।

(11) नामांकन पत्रों की संवीक्षा:

(एक) नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम दिन के अगले दिन, अभ्यर्थियों और सत्यापन करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में नियोजक द्वारा नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी और जो नामांकन विधिमान्य नहीं होंगे उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(दो) उप-नियम (11) के अधीन नामांकन पत्र विधिमान्य नहीं माना जाएगा, यदि—

(क) नामांकित अभ्यर्थी उप-नियम (7) के अधीन अभ्यर्थी होने के लिए अपात्र है; या

(ख) उप-नियम (10) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है;

परन्तु यह कि जहां कोई अभ्यर्थी या सत्यापन करने वाला व्यक्ति संवीक्षा के समय उपस्थित होने में असमर्थ है, वह इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत नामनिर्देशिती को भेज सकता है।

(12) **अभ्यर्थियों का नाम वापस लेना:** कोई भी अभ्यर्थी, जिसका चुनाव के लिए नामांकन स्वीकार कर लिया गया है, नामांकन पत्रों की संवीक्षा पूरी होने के अड़तालीस घंटे के भीतर अपना अभ्यर्थन वापस ले सकता है।

(13) **चुनाव में मतदान:**

(एक) यदि समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या, सीटों की संख्या के बराबर है, तो ऐसे उम्मीदवारों को तुरंत सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(दो) जहां किसी औद्योगिक अधिष्ठान में समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या उसे आवंटित सीटों की संख्या से अधिक है, वहां मतदान चुनाव के लिए निर्धारित दिन पर होगा।

(14) **समिति के अधिकारी:**

(एक) समिति के पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होंगे।

(दो) समिति के अध्यक्ष को नियोजक द्वारा समिति के नियोजक के प्रतिनिधियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और वह यथासंभव औद्योगिक अधिष्ठान का प्रमुख होगा।

(तीन) उपाध्यक्ष का चुनाव कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले समिति के सदस्यों द्वारा अपने बीच से किया जाएगा;

परन्तु यह कि उपाध्यक्ष के चुनाव में मतों की बराबरी की स्थिति में मामले का विनिश्चय लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(चार) समिति के सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव प्रत्येक वर्ष किया जाएगा।

(पांच) समिति, सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी;

परन्तु यह कि जहां सचिव नियोजक के प्रतिनिधियों में से चुना जाता है, वहीं संयुक्त सचिव कर्मकारों के प्रतिनिधियों में से चुना जाएगा और विपर्ययेन भी किया जायेगा;

परन्तु यह भी कि सचिव या संयुक्त सचिव का पद, जैसा भी मामला हो, नियोजक या कर्मकारों के किसी प्रतिनिधि द्वारा लगातार तीन वर्षों तक नहीं रखा जाएगा;

परन्तु यह और भी कि नियोजक के प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, सचिव या संयुक्त सचिव के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और केवल कर्मकारों के प्रतिनिधि ही सचिव या संयुक्त सचिव के पद के लिए चुनाव में वोट देने के हकदार होंगे:

परन्तु यह और भी कि इस उप-नियम के अधीन चुनाव में वोटों की बराबरी की स्थिति में, मामले का विनिश्चय लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(15) **पदावधिः**

(एक) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य से भिन्न समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(दो) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया प्रत्येक सदस्य अपने पूर्वाधिकारी के पदावधि की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

कोई भी सदस्य, जो समिति से छुट्टी लिए बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(16) **रिक्तियां:** उप-नियम (15) के खंड (तीन) के अधीन कर्मकार प्रतिनिधि के सदस्य न रहने अथवा औद्योगिक अधिष्ठान में कार्यरत न रहने अथवा उसके त्यागपत्र, मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से पदच्युत होने की स्थिति में, समिति की शेष अवधि के लिए इस नियम के उपबंधों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी का चयन उसी समूह से किया जाएगा, जिससे पद खाली करने वाला सदस्य संबंधित था।

(17) **सहयोजित करने की शक्ति**: समिति को परामर्शदात्री क्षमता में औद्योगिक अधिष्ठान में नियोजित ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित करने का अधिकार होगा, जिन्हें चर्चा के अधीन किसी विषय का विशेष या विशिष्ट ज्ञान हो तथा ऐसा सहयोजित सदस्य वोट देने का हकदार नहीं

होगा तथा वह मात्र ऐसी अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित रहेगा, जिस अवधि के दौरान विशेष प्रश्न समिति के समक्ष हो।

(18) **बैठकें:**

(एक) समिति आवश्यकतानुसार बैठक कर सकेगी, लेकिन तीन महीने में एक बार से कम नहीं।

(दो) समिति, अपनी पहली बैठक में अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी।

(19) **बैठकों आदि के लिए सुविधाएं:**

(एक) नियोजक समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा और समिति तथा उसके सदस्यों को समिति का कार्य करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करेगा।

(दो) समिति सामान्यतः किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक अधिष्ठान के कार्य घंटों के दौरान बैठक करेगी और बैठक में भाग लेने के दौरान कर्मकारों के प्रतिनिधियों को ड्यूटी पर माना जाएगा।

समिति का सचिव, अध्यक्ष की पूर्व सहमति से औद्योगिक अधिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर समिति के कार्यों के बारे में सूचना लगा सकता है।

(20) **वार्षिक विवरणी:** नियोजक, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन् 2020) के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों में प्रदान की गई एकीकृत वार्षिक विवरणी के एक भाग के रूप में समिति के गठन और कामकाज का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(21) **संकर्म समिति का विघटन:** राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसा वह उचित समझे, किसी भी समय, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों हेतु आदेश द्वारा किसी भी समिति को यह समाधान हो जाने पर विघटित कर सकेगा, कि समिति इस नियम के उपबंधों के अनुसार गठित नहीं की गई है या कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई बिना किसी उचित औचित्य के समिति की लगातार तीन बैठकों

में उपस्थित होने में विफल रहे हैं या समिति ने किसी अन्य कारण से कार्य करना बंद कर दिया है;

परन्तु यह कि जहां समिति इस उप-नियम के अधीन विघटित हो जाती है, नियोजक, यदि राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी द्वारा जैसा भी मामला अपेक्षित हो, तो इस नियम के अनुसार समिति को फिर से गठित करने के लिए कदम उठाएगा।

धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत निवारण समिति के लिए नियोजकों और कर्मकारों में से सदस्यों को चुनने की रीति

5. (1) बीस या अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक अधिष्ठान में शिकायत निवारण समिति में नियोजक और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी, जो दस से अधिक नहीं होगी।

(2) शिकायत समिति में नियोजक के प्रतिनिधियों को नियोजक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और यथाशक्य संभव, वे ऐसे पदाधिकारी होंगे जो औद्योगिक अधिष्ठान की कार्यप्रणाली के सीधे सम्पर्क में होंगे या सम्बद्ध होंगे, अधिमानतः औद्योगिक अधिष्ठानों के मुख्य विभागों के प्रमुख होंगे।

(3) शिकायत समिति के कर्मकार प्रतिनिधि का चयन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) जहां धारा 14 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कोई वार्ताकारी संघ है, वहां ऐसा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, जैसा भी मामला हो, शिकायत समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करेगाः

(ख) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामनिर्देशन इस रीति से किया जाएगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का प्रतिनिधित्व शिकायत समिति में औद्योगिक अधिष्ठान के उन कर्मकारों की संख्या के अनुपात में होगा जो ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य हैं;

(ग) जहां खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मकार अपने में से शिकायत समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों का चयन करेंगेः

परन्तु यह कि नियोजक इस खंड के अधीन कर्मकार प्रतिनिधियों के चयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म, ऑनलाइन प्लेटफार्म या ऐसे अन्य प्लेटफार्म पर अभिनियोजित कर सकता है:

परन्तु यह और कि शिकायत समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक अधिष्ठान में कार्यरत कुल कर्मकारों में महिला कर्मकारों के अनुपात से अनिम्न होगा।

(4) शिकायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

(5) जहां कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है और यदि शिकायत समिति में कर्मकार प्रतिनिधि के चयन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामले को संबंधित क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त को निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले का विनिश्चय करेंगे, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा।

धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन किसी क्षुब्ध कर्मकार द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु किसी विवाद के संबंध में आवेदन

6. (1) कोई क्षुब्ध कर्मकार शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपने विवाद का उल्लेख करते हुए आवेदन दाखिल कर सकता है, जिसमें अपना नाम पदनाम, कर्मकार कोड, विभाग जहाँ तैनात हो, अपनी सेवा अवधि का वर्ष, कर्मकार की श्रेणी, पत्र-व्यवहार का पता, संपर्क संख्या, शिकायत तथा वांछित अनुतोष का विवरण हो।

(2) ऐसा आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा रूप में प्रेषित किया जा सकता है।

(3) ऐसे विवाद उत्पन्न होने के वाद हेतुक के दिनांक से एक वर्ष के अतंर्गत शिकायत की जा सकती है।

धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय के विरुद्ध शिकायत सुलह

7. कोई कर्मकार जो शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय से क्षुब्ध है या जिसकी शिकायत का समाधान आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उक्त समिति द्वारा नहीं किया जाता है, वह शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा रूप में यथास्थिति सम्बंधित सुलह अधिकारी के समक्ष अथवा धारा 4 की उपधारा 6 में विनिर्दिष्ट

हेतु सुलह अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने की रीति

अवधि के समाप्त होने के दिनांक से, व्यवसाय संघ जिसका वह सदस्य हो या अन्यथा रूप में हो, के माध्यम से सुलह अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकता है।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से ऐसे आवेदन की मैन्युअल प्राप्ति के मामले में, सुलह अधिकारी इसे डिजिटाइज़ करेगा और व्यवसाय संघ और कर्मकार को सूचना के अधीन ऑनलाइन तंत्र में आवेदन के विवरण दर्ज करेगा।

अध्याय-तीन
व्यवसाय संघ

धारा 7 के खंड (च) के अधीन व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अभिदान

8. (1) असंगठित क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय संघ के साधारण सदस्य के लिए वार्षिक अभिदान पचास रुपये से अधिक नहीं होगा और मानद सदस्य के लिए एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

(2) संगठित क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय संघ के साधारण सदस्य के लिए वार्षिक अभिदान सौ रुपये से अधिक नहीं होगा और मानद सदस्य के लिए दो सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

धारा 7 के खंड (ञ) के अधीन वार्षिक लेखा परीक्षा

9. (1) इस नियम के उपनियम (2), (3), (4) और (5) में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) के अधीन कंपनियों के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने हेतु पात्र किसी लेखा परीक्षक द्वारा संचालित की जाएगी।

(2) जहां वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय, किसी व्यवसाय संघ की कुल प्राप्ति पचास हजार रूपये से अधिक न रही हो, वहाँ लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा संघ के किन्ही दो सदस्यों द्वारा संचालित की जा सकती है।

(3) जहां वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय, किसी व्यवसाय संघ की कुल प्राप्ति एक लाख रूपये से अधिक न रही हो, वहाँ लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा निम्नलिखित द्वारा संचालित की जा सकती है:-,

(क) ऐसे किन्ही दो व्यक्तियों द्वारा जो किसी नगर पालिका परिषद, जिला परिषद या विधायी निकाय के सदस्य के रूप में पद धारित करते हो, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सरकार के अधीन किसी लेखा परीक्षा या लेखा विभाग में नियुक्त रहा हो तथा सरकार से प्रतिमाह अन्यून तीस हजार रूपये पेंशन प्राप्त कर रहा हो; या

(ग) किसी ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा जो सरकार द्वारा या सरकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा या इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी राज्य सहकारी संगठन द्वारा किन्ही सहकारी समितियों की लेखा-परीक्षा संचालित करने हेतु नियुक्त हो।

(4) जहां वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय, किसी व्यवसाय संघ की कुल प्राप्ति पांच लाख रूपये से अधिक न रही हो, वहाँ लेखाओं की वार्षिक लेखापरीक्षा का संचालन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है:-

(क) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा द्वारा, या

(ख) किसी स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा जो स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त हो, या

(ग) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सरकार के अधीन किसी लेखापरीक्षा या लेखा विभाग में नियुक्त रहा हो तथा सरकार से प्रतिमाह अन्यून पचास हजार रुपये पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

(5) जहां व्यवसाय संघ, संघों का परिसंघ हो, वहाँ परिसंघ के लेखाओं की लेखापरीक्षा उसी रीति से संचालित की जाएगी जैसा कि व्यवसाय संघों की लेखापरीक्षा हेतु उप-नियम (2), (3) और (4) में विहित हो।

(6) उप-नियम (1), (2), (3), (4) और (5) में अतंर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, जिसे वर्ष के दौरान किसी समय व्यवसाय संघ से संबंधित निधि या उसके आंशिक भाग या प्रतिभूतियाँ सौंपी गई हों, उस संघ के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) तदनुसार नियुक्त किए गए लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकगण की व्यवसाय संघ की समस्त पुस्तिकाओं तक पहुंच होगी और वह/वे तत्सम्बंधी लेखाओं तथा वाउचरों सहित वार्षिक विवरणी का सत्यापन करेगा/करेंगे और तत्पश्चात् **प्रपत्र-दो** में लेखा परीक्षक की घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा/करेंगे।

(8) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के राजनीतिक निधि की लेखापरीक्षा के साथ व्यवसाय संघ के सामान्य लेखा की लेखापरीक्षा उसी/उन्हीं लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी।

धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

10. व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन **प्रपत्र-तीन** में मैन्युअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा और व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश को उस क्षेत्र के क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें व्यवसाय संघ का कार्यालय स्थित है।

व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय शुल्क एक सौ रुपये होगा जो राज्य कोषागार के संबंधित कोषागार शीर्षक में मैन्युअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाएगा। आवेदक **प्रपत्र-चार** के साथ ऐसी कोषागार रसीद की एक प्रति रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ, उत्तर प्रदेश को संलग्न करेगा, जो राज्य कोषागार के वेब-पोर्टल के साथ उक्त रसीद की पुष्टि कर सकता है।

धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शपथपत्र

11. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ समस्त आवेदकों को **प्रपत्र- चार** में शपथ पत्र द्वारा घोषणा संलग्न करनी होगी।

धारा 8 की उप-धारा (2) के अधीन व्यवसाय संघ की परिसंपत्तियों और दायित्वों के सामान्य विवरण का प्रपत्र

12. जहां कोई व्यवसाय संघ अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पहले एक वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है, वहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ **प्रपत्र-तीन** की अनुसूची-तीन में व्यवसाय संघ की परिसंपत्तियों और दायित्वों का सामान्य विरण संलग्न किया जाएगा।

धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

13. धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र **प्रपत्र-पाँच** में होगा।

धारा 9 की उप-धारा (3) के अधीन व्यवसाय संघों का रजिस्टर

14. धारा 9 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघों का रजिस्टर **प्रपत्र-छह** में रखा जाएगा।

धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन प्रत्याहरण या रद्दकरण के लिए आवेदन

15. व्यवसाय संघ द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रत्याहरण करने या रद्द करने के लिए प्रत्येक आवेदन **प्रपत्र-सात** में रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन प्रत्याहरण या रद्दकरण के लिए आवेदन का सत्यापन

16. (1) व्यवसाय संघ के प्रत्याहरण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण के आवेदन को रजिस्ट्रार द्वारा आवेदक को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर या उस क्षेत्र के क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा जिसमें व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है।

(2) रजिस्ट्रीकरण का प्रत्याहरण या रद्द करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार आवेदन को स्वीकार करने से पहले, स्वयं का समाधान करेगा कि रजिस्ट्रीकरण का प्रत्याहरण या रद्द करने को व्यवसाय संघ के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया था, या इसे व्यवसाय संघ के सदस्यों के बहुमत का अनुमोदन प्राप्त है। रजिस्ट्रार ऐसे अतिरिक्त विवरण मांग सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे और संघ के किसी भी अधिकारी की जांच कर सकता है।

धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल करने की समयावधि

17. संहिता की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करने या धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के आदेश के खिलाफ कोई अपील रजिस्ट्रार के ऐसे आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

धारा 11 की उप-धारा (1) और (3) के अधीन परिवर्तन की सूचना

18. (1) व्यवसाय संघ अपने पदाधिकारियों में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार को लिखित रूप में देगा तथा ऐसी सूचना के साथ **प्रपत्र-आठ** में ऐसे परिवर्तनों के अनुसार प्रस्ताव भी संलग्न करेगा। क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार, व्यवसाय-संघ संतुष्ट होने के पश्चात **प्रपत्र-नौ** में इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित रजिस्टर में ऐसे किसी भी परिवर्तन को अभिलिखित करेगा तथा संबंधित संघ को सूचित करेगा।

(2) व्यवसाय संघ अपने नाम, संविधान या उप-नियमों के संबंध में अपने आवेदन में दिए गए विवरणों में किसी भी परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को लिखित रूप में देगा तथा उसके साथ संघ के संविधान या उप-नियमों के अनुसार उस प्रभाव का प्रस्ताव भी संलग्न करेगा तथा उसे **प्रपत्र-आठ** में रजिस्ट्रार को सूचित करेगा। रजिस्ट्रार संतुष्ट होने के पश्चात संघ के संविधान या उप-नियमों में परिवर्तन को अभिलिखित करेगा तथा संबंधित संघ को सूचित करेगा।

(3) व्यवसाय संघ के कार्यालय को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की स्थिति में व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रार, उस राज्य के व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रार को, जिसमें व्यवसाय संघ का मुख्यालय स्थानांतरित किया गया है, संहिता की धारा-9 में निर्दिष्ट रजिस्टर में निहित प्रविष्टियों की एक प्रति भेजेगा।

धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन वार्ता के मामले

19. कर्मकारों से संबंधित मामले, जिन पर वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक के साथ वार्ता करेगी, निम्नवत् विनिर्दिष्ट हैं, अर्थात-

(एक) कर्मकारों की श्रेणी एवं प्रवर्ग का वर्गीकरण;

(दो) औद्योगिक अधिष्ठान में लागू स्थायी आदेशों के अधीन नियोजक द्वारा पारित आदेश;

(तीन) कर्मकारों की मजदूरी, जिसमें उनकी मजदूरी अवधि, महंगाई भत्ता, बोनस, वेतन वृद्धि, रूढ़िगत रियायत या विशेषाधिकार, प्रतिकरात्मक और अन्य भत्ते सम्मिलित हैं;

(चार) कर्मकारों के कार्य के घंटे, उनके विश्राम के दिन, सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या, विश्राम अंतराल, पारियों में कार्य करना;

(पाँच) मजदूरी और अवकाश सहित छुट्टी;

(छह) पदोन्नति और स्थानांतरण नीति एवं अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं;

(सात) कर्मकारों के लिए आवास-गृह आवंटन नीति;

(आठ) सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की दशायें और संबंधित मानक;

(नौ) कर्मकारों की सेवा की शर्तों और रोजगार के निबंधनों से संबंधित ऐसे मामले, जो पूर्वगामी खंडों से आच्छादित नहीं हैं; और

(दस) कोई अन्य मामला, जिस पर औद्योगिक अधिष्ठान के नियोक्ता और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के बीच सहमति हो, जैसा भी मामला हो।

धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन एकमात्र वार्ताकारी संघ की मान्यता

20. जहां औद्योगिक अधिष्ठान में कर्मकारों का केवल एक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ कार्य कर रहा है, वहां नियोजक ऐसे संघ को कर्मकारों के एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता देगा;

परन्तु यह कि औद्योगिक अधिष्ठान में नियोजित कुल कर्मकारों के अन्यून तीस प्रतिशत उक्त व्यवसाय संघ के सदस्य हों।

धारा 14 की उप-धारा (3) और (4) के अधीन औद्योगिक अधिष्ठान में व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन की रीति।

21. (1) (क) राज्य सरकार, औद्योगिक अधिष्ठान में व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के प्रयोजन के लिए एक सत्यापन अधिकारी नियुक्त करेगी, जिसका औद्योगिक अधिष्ठान में किसी भी व्यवसाय संघ के साथ कोई हित नहीं होगा, जिसकी सदस्यता का सत्यापन उसके द्वारा किया जाना है;

परन्तु यह कि वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, जैसा भी मामला हो, की मान्यता की प्रक्रिया, संहिता के अधीन नियोजक द्वारा मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, जैसा भी मामला हो, की विद्यमान मान्यता अवधि की समाप्ति से तीन महीने पहले प्रारम्भ होगी।

(ख) सत्यापन अधिकारी, सदस्यता सत्यापन के कार्य की मात्रा के आधार पर अपनी सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

(ग) सत्यापन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अवधारित समय के भीतर औद्योगिक अधिष्ठान में सदस्यता सत्यापन का कार्य करेगा।

(2) औद्योगिक अधिष्ठान का नियोजक उप-नियम (1) के अधीन व्यवसाय संघ की सदस्यता के सत्यापन के संबंध में सभी खर्च वहन करेगा और व्यवस्था करेगा।

(3) (क) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले व्यवसाय संघ, औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक को वार्ताकारी संघ या कर्मकारों की वार्ताकारी परिषद के प्रतिनिधियों, जैसा भी मामला हो, की प्रास्थिति देने के लिए **प्रपत्र-दस** में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात:-

(एक) व्यवसाय संघ के पास व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1926) के अधीन एक विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण है और वह उसी रूप में जारी है; या

(दो) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) के अधीन रजिस्ट्रीकरण है, जैसा भी मामला हो; और

(ख) व्यवसाय संघ द्वारा मान्यता के लिए किए गए आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति, सदस्यों की सूची की एक प्रति, सदस्यता अभिदान का विवरण और व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत व्यवसाय संघ की नवीनतम वार्षिक विवरणी की एक प्रति संलग्न होगी।

4. (क) यदि संहिता के अधीन वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद का गठन किया गया है, तो औद्योगिक अधिष्ठान का नियोजक वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के कार्यकाल की समाप्ति से पहले यथास्थिति पर्याप्त रूप से अग्रिम में लेकिन वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के कार्यकाल की समाप्ति से तीन महीने पहले, कार्यवाही शुरू करेगा;

(ख) व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के प्रयोजनार्थ औद्योगिक अधिष्ठान के लिए सत्यापन अधिकारी द्वारा गणना की तिथि निर्धारित की जाएगी;

(ग) अधिष्ठान का नियोजक व्यवसाय संघों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और अभिलेखों को सत्यापन अधिकारी को अग्रेषित करेगा;

(घ) दस्तावेजों और अभिलेखों की प्राप्ति पर, सत्यापन अधिकारी व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रीकरण और संबंधित मामलों की प्रास्थिति

अभिनिश्चित करने के लिए व्यवसाय संघ द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों और दस्तावेजों की संवीक्षा करेगा;

(ङ) सत्यापन अधिकारी, औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक और सभी सहभागी व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर गुप्त मतदान के माध्यम से व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में विनिश्चय करेगा;

(च) नियोजक सत्यापन अधिकारी के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्लेटफार्म या ऐसे अन्य प्लेटफार्म पर चुनाव कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया अभिनियोजित कर सकता है;

(छ) धारा 14 में निर्दिष्ट और सत्यापित वार्ताकारी संघों और वार्ताकारी परिषद के सदस्यों की सूची व्यवसाय-संघ रजिस्ट्रार, द्वारा **प्रपत्र-ग्यारह** में अनुरक्षित की जाएगी।

(5) गुप्त मतदान के माध्यम से व्यवसाय संघों की सदस्यता का सत्यापन-

(क) सत्यापन अधिकारी औद्योगिक अधिष्ठान में कार्यरत सभी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों का अधिवेशन वास्तविक मतदान की तिथि से कम से कम साठ दिन पहले बुलाएगा, जिसमें निम्नलिखित पर विनिश्चय किया जाएगा -

(एक) मतदाता सूची का प्रकाशन;

(दो) तिथि, समय, मतदान का तरीका, मतदान का स्थान;

(तीन) मतगणना की तिथि, समय और स्थान; और

(चार) गुप्त मतदान से संबंधित अन्य तौर-तरीके।

(ख) सत्यापन अधिकारी बैठक के कार्यवृत्त तैयार कराएगा और भाग लेने वाले सभी व्यवसाय संघों से उस पर हस्ताक्षर कराएगा। भाग लेने वाले सभी व्यवसाय संघों को उसी बैठक में प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। यदि बैठक में तिथि, समय, मतदान का तरीका, मतदान का स्थान, प्रतीकों का आवंटन, मतगणना की तिथि, समय और स्थान तथा अन्य मामलों के बारे में कोई विनिश्चय नहीं किया जा सका, तो सत्यापन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और वह ऐसे गुप्त मतदान चुनाव की अनुसूची, कार्यक्रम और प्रक्रिया प्रकाशित करेगा।

(ग) सभी कर्मकार, जिनके नाम औद्योगिक अधिष्ठान की मस्टर रोल पर गणना की तिथि को अंकित हैं, मतदान करने के पात्र होंगे।

(घ) औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक द्वारा उप-नियम (3) में निर्दिष्ट मस्टर रोल पर अंकित कर्मकारों के नामों के आधार पर मतदाता सूची तैयार की जाएगी तथा मतदाता सूची में कर्मकार का नाम, पिता का नाम, पदनाम, नियोजक द्वारा जारी कर्मचारी संख्या/पहचान पत्र संख्या तथा कर्मकार की नियुक्ति का स्थान अंकित होगा। अंतिम मतदाता सूची नियोजक द्वारा सत्यापन अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात प्रकाशित की जाएगी तथा औद्योगिक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट तथा वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्रदर्शित की जाएगी। ऐसी मतदाता सूची की एक प्रति भाग लेने वाले व्यवसाय संघों को हस्तगत अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित की जाएगी।

(ड.) सत्यापन अधिकारी भाग लेने वाले व्यवसाय संघों के नाम की सूची, उन्हें आवंटित प्रतीक सहित, सूची के अंतिम रूप दिए जाने के दो दिन के भीतर औद्योगिक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट तथा वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्रदर्शित करेगा।

(च) मतदान और मतगणना, सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर सत्यापन अधिकारी के पर्यवेक्षण में होगी और गणना के दौरान, भाग लेने वाले सभी व्यवसाय संघों के अभिकर्ता को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी।

(छ) मतों की अंतिम गणना के पश्चात, सत्यापन अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा। परिणाम पत्र में चुनाव में भाग लेने वाले सभी व्यवसाय संघों के नाम, डाले गए कुल मतों की संख्या और चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यवसाय संघ के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या सम्मिलित होगी।

(6) नियोजक को सत्यापन रिपोर्ट- सत्यापन अधिकारी औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक को परिणाम पत्र के साथ सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) व्यवसाय संघ को वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के घटक के रूप में मान्यता देना-

(क) सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, औद्योगिक अधिष्ठान का नियोजक, संहिता की धारा 14 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार

व्यवसाय संघ को यथास्थिति वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के घटक के रूप में मान्यता प्रदान करेगा।

(ख) वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के रूप में कोई भी मान्यता, मान्यता दिये जाने या गठन किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष या नियोजक और व्यवसाय संघ द्वारा पारस्परिक रूप से तय की गई कुल अनधिक पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी:

धारा 14 की उप-धारा (7) के अधीन औद्योगिक अधिष्ठान द्वारा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषदों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

22. किसी औद्योगिक अधिष्ठान में, जहां कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् है, जैसा भी मामला हो, ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान का नियोजक वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात:-

(एक) यथास्थिति वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के कार्य-कलापों से संबंधित सूचना प्रदर्शित करने के उद्देश्य से सूचना पट्ट;

(दो) वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् द्वारा औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के बीच तय की जाने वाली अनुसूची और कार्यसूची के अनुसार, चर्चा करने के लिए स्थान और आवश्यक सुविधाएं;

(तीन) वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के घटकों के सदस्यों के बीच चर्चा करने के लिए स्थान और आवश्यक सुविधाएं;

(चार) कर्मकारों की कार्य दशाओं से संबंधित मामलों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ, औद्योगिक अधिष्ठान में यथास्थिति में वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के पदाधिकारियों के प्रवेश की सुविधा;

(पांच) औद्योगिक अधिष्ठान का नियोजक कर्मकार की लिखित सहमति के आधार पर व्यवसाय संघ के सदस्यों के अभिदान की कटौती करेगा;

(छह) जब वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के पदाधिकारी नियोजक और ऐसे नियोजित पदाधिकारियों के बीच सहमत

कार्यक्रम के अनुसार नियोजक के साथ बैठकें कर रहे हों, तो उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा; और

(सात) तीन सौ या अधिक कर्मकारों वाले औद्योगिक अधिष्ठान का नियोजक, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद को, जैसा भी मामला हो, आवश्यक सुविधाओं सहित उपयुक्त कार्यालय स्थल उपलब्ध कराएगा।

धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन सामान्य निधि का प्रयोजन

23. संघ की सामान्य निधि, निम्नलिखित उद्देश्यों के इतर व्यय की जा सकती है-

(क) व्यवसाय संघ के अधिकारियों को वेतन, भत्ते और व्यय का भुगतान;

(ख) व्यवसाय संघ के सामान्य निधि के लेखाओं की लेखापरीक्षा सहित व्यवसाय संघ के प्रशासन के लिए व्यय का भुगतान;

(ग) किसी विधिक कार्यवाही का अभियोजन या बचाव, जिसमें व्यवसाय संघ या उसका कोई सदस्य पक्षकार हो, जब ऐसा अभियोजन या बचाव व्यवसाय संघ के किसी अधिकार को सुरक्षित या संरक्षित करने या किसी सदस्य के अपने नियोजक के साथ संबंधों से उत्पन्न किसी अधिकार को सुरक्षित करने या संरक्षित करने के प्रयोजन से किया जाता है;

(घ) व्यवसाय संघ या उसके किसी सदस्य की ओर से व्यवसायिक विवादों का संचालन;

(ङ) व्यवसायिक विवादों से उत्पन्न होने वाली हानि के लिए सदस्यों को प्रतिकर;

(च) ऐसे सदस्यों की मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के कारण सदस्यों या उनके आश्रितों को भत्ते;

(छ) सदस्यों के जीवन पर बीमा पॉलिसियों के अधीन या सदस्यों को बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के विरूद्ध बीमा करने वाली पॉलिसियों के अधीन दायित्व का निर्गमन या उपक्रम करना;

(ज) सदस्यों के लिए या सदस्यों के आश्रितों के लिए शैक्षिक, सामाजिक या धार्मिक प्रसुविधाओं का उपबंध (मृत सदस्यों के

अंतिम संस्कार या धार्मिक समारोहों के व्यय का भुगतान सहित);

(झ) नियोजकों/कर्मकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर चर्चा करने के प्रयोजनार्थ मुख्य रूप से प्रकाशित एक पत्रिका का रखरखाव;

(ञ) किसी ऐसे उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भुगतान जिस पर व्यवसाय संघ की सामान्य निधियों को सामान्य रूप से कर्मकारों को लाभ पहुंचाने हेतु आशयित किसी भी उद्देश्य के लिए योगदान के लिए खर्च किया जा सकता है,

परन्तु यह कि किसी भी वित्तीय वर्ष में ऐसे योगदानों के संबंध में व्यय उस वर्ष के दौरान किसी भी समय उस सकल आय के संयुक्त योग के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगा जो उस वर्ष के अंत में व्यवसाय संघ की सामान्य निधियों में उस वर्ष के प्रारंभ में उन निधियों के जमा शेष के दौरान उस समय तक अर्जित हुई है।

धारा 15 की उप-धारा (2) और (4) के अधीन राजनैतिक निधि और अभिदान का प्रयोजन

24. (1) धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन गठित निधि का व्यय निम्नलिखित के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य पर नहीं किया जाएगा-

(क) संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी अभ्यर्थी या भावी अभ्यर्थी द्वारा, उसके अभ्यर्थन या निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन से पूर्व, उसके दौरान या उसके पश्चात, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपगत किसी व्यय का भुगतान; या

(ख) ऐसे किसी अभ्यर्थी या भावी अभ्यर्थी के समर्थन में कोई बैठक आयोजित करना या कोई साहित्य या दस्तावेज वितरित करना; या

(ग) किसी व्यक्ति जो संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य हो, का अनुरक्षण; या

(घ) संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण या अभ्यर्थी का चयन; या

(ङ) किसी भी प्रकार की राजनैतिक बैठकें आयोजित करना या किसी भी प्रकार का राजनैतिक साहित्य या राजनैतिक दस्तावेज वितरित करना।

(2) नागरिक और राजनैतिक हितों के लिए बनायी गयी निधि का अभिदान व्यवसाय संघ के सदस्यों पर अलग से लगाया जाएगा और यह सामान्य निधि के सदस्य के वार्षिक अभिदान के दोगुने से अधिक नहीं होगा।

धारा 22 की उप-धारा (1) के अधीन अधिकरण के समक्ष विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन करने की रीति

25. जहां निम्नलिखित के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है-

(क) एक व्यवसाय संघ और दूसरे के बीच; या

(ख) एक या अधिक कर्मकार, जो व्यवसाय संघ के सदस्य हैं और व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण, प्रशासन या प्रबंधन या व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों के चुनाव के बारे में; या

(ग) एक या अधिक कर्मकार जिन्हें सदस्यों और व्यवसाय संघ के रूप में प्रवेश देने से मना कर दिया गया है; या

(घ) जहां विवाद व्यवसाय संघ के संबंध में है जो व्यवसाय संघों का परिसंघ है और व्यवसाय संघ द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत पदाधिकारी है,

तो क्षुब्ध व्यक्ति विवाद उत्पन्न होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिकारिता रखने वाले अधिकरण में **प्रपत्र-बारह** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट से या व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकता है।

धारा 24 की उप-धारा (2) के अधीन समामेलन की रीति, तथा उप-धारा (3) के अधीन हस्ताक्षरित

26. (1) कोई भी दो या अधिक व्यवसाय संघ अपने संघों के समामेलन के लिए **प्रपत्र-तेरह** में व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकते हैं।

(2) समामेलन के लिए आवेदन के साथ उनके संघों के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव संलग्न होने चाहिए।

समामेलन को भिन्न राज्य के रजिस्ट्रार को भेजने की रीति

(3) रजिस्ट्रार, यदि संतुष्ट हो, तो ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे **प्रपत्र-छह** में रजिस्टर में संघों के समामेलन को अभिलिखित करेगा।

(4) धारा 24 की उप-धारा (3) के अधीन समामेलन की नोटिस प्राप्त होने पर, यदि समामेलित व्यवसाय संघ का मुख्यालय अन्य राज्य में है, तो रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ, उत्तर प्रदेश ऐसे समामेलन की नोटिस, ऐसे अन्य राज्य के रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ को भेजेगा।

(5) जब समामेलित व्यवसाय संघ धारा 24 की उपधारा (6) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो जाता है, तो उसे **प्रपत्र-छह** में रजिस्टर में एक संख्या समनुदेशित की जाएगी और रजिस्ट्रार उसके लिए प्रपत्र में एक नया प्रमाण पत्र जारी करेगा। रजिस्ट्रार **प्रपत्र- छह** में रजिस्टर में इस प्रकार समामेलित व्यवसाय संघों से संबंधित प्रविष्टियों, यदि कोई हो, के समक्ष समामेलन के तथ्य का भी उल्लेख करेगा और समामेलित संघों के रजिस्ट्रीकरण की सूचना अन्य राज्य के व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रार को, यदि कोई हो, भेजेगा।

धारा 25 की उप-धारा (2) के अधीन विघटन के पश्चात् व्यवसाय संघ की निधियों का वितरण

27. (1) जहां धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार के लिए किसी ऐसे व्यवसाय संघ की निधि का वितरण करना आवश्यक है, जो विघटित हो चुका है, वहां वह उस निधि को व्यवसाय संघ की पुस्तिकाओं पर सदस्यों के बीच विघटन की सूचना जारी होने की तिथि को उनके सदस्यता के दौरान अभिदान के रूप में ऐसे सदस्यों द्वारा योगदान की गई राशि के अनुपात में विभाजित करेगा।

(2) व्यवसाय संघ के किसी सदस्य की उसके विघटन की तिथि के पश्चात् परंतु निधि के वितरण से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को संदेय राशि उसके विधिक उत्तराधिकारियों को देगा।

धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन वार्षिक विवरणी

28. संहिता की धारा 26 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक रजिस्ट्रार को मैन्युअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी और इसमें नियम 9 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से लेखापरीक्षित **प्रपत्र-चौदह** में विहित विवरणों का पूर्ण और सही विवरण होगा।

धारा 27 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य व्यवसाय संघ को मान्यता

29. (1) राज्य स्तर पर राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता के प्रयोजन के लिए, व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों का परिसंघ, इस संबंध में श्रम आयुक्त को **प्रपत्र-पन्द्रह** पर लिखित आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा उसके साथ इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक सदस्यों द्वारा समर्थित संघ या परिसंघ का संकल्प संलग्न होगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर श्रम आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसी वह उचित समझे, राज्य व्यवसाय संघ/परिसंघ को मान्यता दे सकेगा अथवा आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा। यदि राज्य व्यवसाय संघ/परिसंघ को मान्यता प्रदान की जाती है तो आवेदक को श्रम आयुक्त द्वारा लिखित रूप में स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

(3) राज्य सरकार किसी व्यवसाय संघ या संघों के परिसंघ को, जैसा भी मामला हो, राज्य स्तरीय व्यवसाय संघ या परिसंघ के रूप में मान्यता दिए जाने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय, ऐसे संघ या परिसंघ से ऐसी सूचना मांग सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझे, तथा संघ या परिसंघ मांगी गई सूचना उपलब्ध कराएगा।

(4) प्रत्येक ऐसा मान्यता प्राप्त व्यवसाय संघ या संघों का परिसंघ,-

(क) अपने प्रधान कार्यालय के पते में तथा अपने पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सदस्यों में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना राज्य सरकार को **प्रपत्र-सोलह** में सात दिन के भीतर देगा, तथा

(ख) प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक **प्रपत्र-सतरह** में अपने से संबद्ध संघों की सूची राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(5) राज्य सरकार किसी भी समय तथा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से उपर्युक्त उपनियम (2) के अधीन व्यवसाय संघ या संघों के परिसंघ को दी गई मान्यता वापस ले सकती है।

(6) उप-नियम (2) या (5) के अधीन राज्य सरकार के आदेश से क्षुब्ध कोई पक्ष ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर अधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है, जिसका मामले में विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अध्याय-चार
स्थायी आदेश

प्रमाणनकर्ता अधिकारी को सूचना अग्रेषित करना

30. (1) यदि नियोजक अपने औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम से सुसंगत विषयों के संबंध में धारा 29 में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाता है, तो वह संबंधित प्रमाणनकर्ता अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या व्यक्तिगत रूप से, या स्पीड पोस्ट द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा वह विशिष्ट दिनांक सूचित करेगा, जिससे उसके अधिष्ठान या उपक्रम से सुसंगत आदर्श स्थायी आदेशों के उपबंधों को अपनाया गया है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अपनाया गया आदर्श स्थायी आदेश औद्योगिक अधिष्ठान और उत्तर प्रदेश में उसकी सभी इकाइयों पर लागू होगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, प्रमाणनकर्ता अधिकारी उस औद्योगिक अधिष्ठान जिसने आदर्श स्थायी आदेश को अपनाया है, का ब्यौरा नियम 37 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(4) जहां प्रमाणनकर्ता अधिकारी यह अवलोकन करता है कि औद्योगिक अधिष्ठान, जिसने आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाने की सूचना दी है, उन कार्यकलापों से भिन्न कार्य-कलापों में भी लगा हुआ है जिनके लिए आदर्श स्थायी आदेश अपनाए गए हैं, तो वह इस प्रकार अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों की सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे नियोजक को निदेश दे सकता है कि वह अपने औद्योगिक अधिष्ठान के लिए सुसंगत कतिपय उपबंधों को सम्मिलित करने या अपनाने तथा उन सुसंगत उपबंधों को उपदर्शित करने का निदेश दे सकता है तथा ऐसे नियोजक को ऐसे निदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर उनका अनुपालन करने तथा केवल उन उपबंधों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निदेश दे सकता है, जिनके लिए प्रमाणनकर्ता अधिकारी ने उन्हें सम्मिलित करने के लिए ऐसा निदेश दिया है।

(5) यदि उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर प्रमाणनकर्ता अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं

की जाती है, तो आदर्श स्थायी आदेश, प्रमाणनकर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया समझा जाएगा।

(6) इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों के उपबंध, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रवृत्त रहेंगे।

(7) इस नियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रमाणनकर्ता अधिकारी कोई टिप्पणी नहीं करेगा, यदि वह औद्योगिक अधिष्ठान जिस पर स्थायी आदेश लागू होते हैं, ऐसे कार्य-कलापों में लगा हुआ है जो औद्योगिक अधिष्ठान के कार्य-कलापों के अधीन पूर्णतः आते हैं।

जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है, वहां प्रमाणनकर्ता अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के लिए औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम के कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन करना

31. (1) जहां धारा 30 की उप-धारा (5) के खंड (एक) में निर्दिष्ट कोई व्यवसाय संघ नहीं है, वहां प्रमाणनकर्ता अधिकारी या उसकी ओर से कोई प्राधिकृत अधिकारी, तीन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कर्मकारों की बैठक बुलाएगा, जिनके चुने जाने पर वह स्थायी आदेश या संशोधन, जैसी भी स्थिति हो, की एक प्रति, अंग्रेजी में और साथ ही कर्मकारों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में उसके अनुवाद के साथ नोटिस जारी करेगा, जिसमें टिप्पणियां या सुझाव, यदि कोई हों, अपेक्षित होंगे, जिन्हें कर्मकार स्थायी आदेश के प्रारूप पर देना चाहें, जो ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने होगें।

(2) व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के घटक को, यथास्थिति, अंग्रेजी में प्रारूप स्थायी आदेश या संशोधन की एक प्रति तथा साथ ही उसका अनुवाद, उस भाषा में दिया जाएगा जिसे अधिकांश कर्मकार जानते हैं, ताकि इस नियम में सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उनसे उनकी टिप्पणियां या सुझाव, यदि कोई हों, मांगे जा सकें।

प्रमाणित स्थायी आदेश का अधिप्रमाणन

32. धारा 30 की उप-धारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित स्थायी आदेश या आदेशों में किए गए उपांतरणों को प्रमाणनकर्ता अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और उसे ऐसे अधिप्रमाणन की तिथि से सात दिन के भीतर सभी संबंधितों को, अर्थात् नियोजक और सभी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों या कर्मकारों के चुने हुए प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से और उसकी हार्ड कॉपी रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी:

परन्तु यह कि धारा 30 की उप-धारा (3) के अधीन समझे गए प्रमाणन के मामलों में तथा ऐसे मामलों में जहां नियोजक ने आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाया जाना प्रमाणित कर दिया है, इस नियम के अधीन अधिप्रमाणन की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

प्रारूप स्थायी आदेश के साथ संलग्न किया जाने वाला विवरण

33. (1) प्रारूप स्थायी आदेश के साथ संलग्न किए जाने वाले विवरण में, संबंधित औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम का नाम, पता, ई-मेल पता, संपर्क संख्या और उसमें नियोजित कर्मकारों की संख्या और ब्यौरा, जिसमें व्यवसाय संघ, यदि कोई हो, का विवरण अंतर्विष्ट होगा, जिससे ऐसे कर्मकार संबंधित हैं।

(2) किसी विद्यमान स्थायी आदेश में प्रारूप उपांतरण के साथ संलग्न किए जाने वाले विवरण में ऐसे स्थायी आदेश का विवरण होगा जिसे उपांतरित किए जाने का प्रस्ताव है, साथ ही एक सारणीबद्ध विवरण होगा जिसमें प्रवृत्त उस स्थायी आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंध और उसमें प्रस्तावित उपांतरण तथा उसके कारणों का विवरण अंतर्विष्ट होगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट विवरण पर औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) आदर्श स्थायी आदेश, यदि उपांतरित किए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम की सभी इकाइयों पर भी लागू होंगे।

समान अधिष्ठानों में प्रारूप स्थायी आदेश प्रस्तुत करने की शर्तें

34. समान औद्योगिक अधिष्ठानों में लगे नियोजकों के समूह के मामले में, वे संबंधित व्यवसाय संघ के परामर्श के बाद धारा 30 के अधीन और उसकी उप-धारा (1), (5), (6), (8) और उप-धारा (9) में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए स्थायी आदेश का एक संयुक्त प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैं;

परन्तु यह कि समान औद्योगिक अधिष्ठानों में लगे नियोजकों के समूह के मामले में, स्थायी आदेशों का संयुक्त प्रारूप तैयार किया जाएगा और अपर श्रम आयुक्त (औद्योगिक सम्बंध) को तैयार प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा/जो संबंधित प्रमाणनकर्ता अधिकारियों के परामर्श

से, इसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात ऐसे संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेशों को प्रमाणित करेगा या प्रमाणित करने से इंकार करेगा:

परन्तु यह और कि प्रमाणनकर्ता अधिकारी सभी संबंधित पक्षों को नोटिस देगा तथा स्थायी आदेशों को प्रमाणित करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर सुनिश्चित करेगा।

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील का निपटान

35. (1) कोई नियोजक या व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, या जहां किसी औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां कोई संघ या औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम के कर्मकारों का ऐसा प्रतिनिधि निकाय, धारा 30 की उप-धारा (5) के अधीन किए गए प्रमाणनकर्ता अधिकारी के आदेश के विरुद्ध ऐसे आदेश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर अपील कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए सारणीबद्ध रूप में अपील का ज्ञापन तैयार करेगा, जिसमें उन स्थायी आदेशों के उपबंधों का, जिन्हें परिवर्तित या उपांतरित या हटाया या जोड़ा जाना अपेक्षित है, कारण सहित उल्लेख होगा और उसे अपीलीय प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से दाखिल करेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी, अपील की सुनवाई के लिए दिनांक नियत करेगा और उसकी सूचना देने का निदेश देगा, -

(क) जहां अपील नियोजक द्वारा दाखिल की जाती है, वहां यथास्थिति, व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् को, या जहां औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् नहीं है, वहां औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम के कर्मकारों के किसी संघ या ऐसे प्रतिनिधि निकाय को;

(ख) जहां अपील किसी व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद द्वारा दाखिल की जाती है, वहां यथास्थिति, नियोजक और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद या कर्मकारों के अन्य सभी व्यवसाय संघों को, या जहां किसी औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम के कर्मकारों के किसी संघ या ऐसे प्रतिनिधि निकाय को; और

(ग) जहां अपील कर्मकारों के प्रतिनिधि निकाय द्वारा दाखिल की जाती है, वहां नियोजक और औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मकारों के अन्य व्यवसाय संघों, या जहां किसी औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम में कर्मकारों का कोई व्यवसाय संघ नहीं है, वहां किसी अन्य कर्मकार को जो अपील में पक्षकार के रूप में शामिल होता है।

(3) अपीलकर्ता प्रत्येक प्रत्यर्थी को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट, अपील ज्ञापन की एक प्रति देगा ।

(4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी भी चरण में कोई साक्ष्य मांग सकेगा, यदि वह अपील के निपटान के लिए आवश्यक समझे।

(5) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए उप-नियम (2) के अधीन नियत तिथि पर, ऐसा साक्ष्य लेगा जिसे उसने मांगा हो या जिसे वह प्रस्तुत किए जाने पर सुसंगत समझे, और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील का निपटारा करेगा।

आदेश भेजना और स्थायी आदेश का अनुरक्षण करना

36. (1) अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अपील के निपटारे के तीन दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा नियोजक या व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद या कर्मकारों का कोई संघ या प्रतिनिधि निकाय, जैसा भी मामला हो, जिसके द्वारा अपील दाखिल की गई है, को भेजा जाएगा।

(2) इस अध्याय के अधीन अंतिम रूप से प्रमाणित या प्रमाणित समझे गए या अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों का पाठ नियोजक द्वारा हिन्दी या अंग्रेजी में तथा उस भाषा में अनुरक्षित किया जाएगा जिसे/जहाँ औद्योगिक अधिष्ठान स्थित है, वहाँ के अधिकांश कर्मकार समझते हैं।

(3) प्रमाणित स्थायी आदेश नियोजक द्वारा सुपाठ्य स्थिति में औद्योगिक अधिष्ठान के प्रवेश द्वार पर या उसके निकट इस प्रयोजन के लिए लगाए जाने वाले विशेष बोर्ड पर, जहां से अधिकांश कर्मकार प्रवेश करते हैं, प्रदर्शित किये जायेंगे तथा इसे ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान के अभिहित पोर्टल /वेबसाइट, यदि कोई हो, पर भी लगाया जा सकता है।

स्थायी आदेशों की अंतिम रूप से प्रमाणित प्रति दाखिल करने के लिए रजिस्टर

37. (1) प्रमाणनकर्ता अधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक अधिष्ठानों के अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित समझे गए या अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों का, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, **प्रपत्र-अठारह** में एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा। जिसमें निम्नलिखित का ब्यौरा होगा. -

(क) प्रत्येक स्थायी आदेश को समनुदेशित विशिष्ट संख्या;

(ख) औद्योगिक अधिष्ठान का नाम;

(ग) औद्योगिक अधिष्ठान की प्रकृति;

(घ) प्रत्येक अधिष्ठान या उपक्रम द्वारा प्रमाणन या समझे गये प्रमाणन की तिथि या मॉडल स्थायी आदेशों को अपनाने की तिथि,

(ङ) औद्योगिक अधिष्ठान के प्रचालन का क्षेत्र; और

(च) ऐसे अन्य विवरण जो स्थायी आदेशों को पुनः प्राप्त करने में और ऐसे सभी स्थायी आदेशों का एक डेटाबेस तैयार करने में सुसंगत और सहायक हो सकते हैं।

(2) प्रमाणनकर्ता अधिकारी उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित समझे गये स्थायी आदेशों की एक प्रति, उसके लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को, प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित समझे गये स्थायी आदेशों, यथास्थिति, को प्रति पृष्ठ दो रुपए के भुगतान पर उपलब्ध कराएगा।

(3) प्रमाणित स्थायी आदेश प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भी किया जा सकता है।

स्थायी आदेशों के उपांतरण के लिए आवेदन

38. धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन किसी विद्यमान स्थायी आदेशों के उपांतरण के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें ऐसे स्थायी आदेशों के विवरण होंगे जिन्हें उपांतरित करने का प्रस्ताव है, साथ ही एक सारणीबद्ध विवरण भी होगा जिसमें प्रवृत्त स्थायी आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंध का विवरण, और उनमें प्रस्तावित उपांतरण, उनके कारण और उनमें कार्यरत रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के विवरण होंगे और ऐसे विवरण पर औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम या कर्मकारों या व्यवसाय संघों

या कर्मकारों के अन्य प्रतिनिधि निकाय द्वारा, जैसा भी मामला हो, के प्रधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसने उपांतरण के लिए ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया है।

अध्याय-पाँच
परिवर्तन की नोटिस

प्रस्तावित परिवर्तन हेतु सूचना

39. (1) कोई भी नियोजक, जो इस संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में किसी कर्मकार पर लागू सेवा शर्तों में कोई बदलाव करना चाहता है, तो ऐसे परिवर्तन से प्रभावित होने वाले संभावित कर्मकारों को **प्रपत्र–उन्नीस** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रसीद सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से, नोटिस भेजेगा तथा औद्योगिक अधिष्ठान के निर्दिष्ट पोर्टल, यदि कोई हो, पर भी ऐसी सूचना अपलोड करेगा।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित नोटिस नियोजक द्वारा औद्योगिक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा:

परन्तु यह कि जहां संबंधित औद्योगिक अधिष्ठान से संबंधित कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों या समझौता संघ या समझौता परिषद् हो, तो ऐसे नोटिस की एक प्रति उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट तरीके से ऐसे व्यवसाय संघ के सचिव या ऐसे व्यवसाय संघों के प्रत्येक सचिव या समझौता संघ के सचिव या समझौता परिषद के घटक को, जैसा भी मामला हो दी जाएगी।

अध्याय-छ:
विवादों को स्वेच्छा से माध्यस्थम के लिये निर्दिष्ट करना

धारा 42 की उप-धारा (3) के अधीन माध्यस्थम करार और उसकी रीति का प्रपत्र

40. (1) नियोजक और कर्मकार **प्रपत्र-बीस** यथा उपबंधित माध्यस्थम करार करके किसी औद्योगिक विवाद को माध्यस्थम को निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो सकते हैं।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट माध्यस्थम करार पर उक्त समझौते के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके साथ मध्यस्थ या मध्यस्थों की लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहमति होगी।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट माध्यस्थम करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे-

(क) किसी नियोजक के मामले में, नियोजक द्वारा स्वयं किया जायेगा, या जब नियोजक कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय हो, तो अभिकर्ता, प्रबन्धक या ऐसे प्रयोजनों हेतु प्राधिकृत निगम के अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ख) कर्मकारों के मामले में, इस निमित्त प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा या ऐसे प्रयोजन के लिए आयोजित संबंधित कर्मकारों की बैठक में इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत कर्मकारों के पांच प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा, और

(ग) किसी वैयक्तिक कर्मकार के मामले में, ऐसे कर्मकार द्वारा स्वयं या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, जिसका उक्त कर्मकार सदस्य है के किसी अधिकारी द्वारा, या उसी प्रतिष्ठान में उसके द्वारा इस निमित्त विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य कर्मचारी द्वारा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "अधिकारी" शब्द का अर्थ है,-

(क) नियोजकों के संघ के मामले में, नियोजकों के ऐसे संघ का कोई अधिकारी जो ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत है; और

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के मामले में, ऐसे व्यवसाय संघ के निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी जो ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत है, अर्थात-

(i) अध्यक्ष; या

(ii) उपाध्यक्ष; या

(iii) सचिव (महासचिव सहित); या

(iv) संयुक्त सचिव; या

(v) ऐसे व्यवसाय संघ का कोई अन्य अधिकारी जो ऐसे व्यवसाय संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत है।

धारा 42 की उप-धारा (5) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने की रीति

41. जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम को निर्दिष्ट किया गया है और राज्य सरकार को यह विश्वास हो गया है कि निर्दिष्ट करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्षकार के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां वह इस निमित्त ऐसे नियोजकों और कर्मकारों, जो माध्यस्थम करार के पक्षकार न हों किन्तु उक्त विवाद से सम्बद्ध हो, की सूचना के लिए गजट में अधिसूचना प्रकाशित करेगी और वे ऐसे प्रयोजन के लिए नियुक्त मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकेंगे।

धारा 42 की उप-धारा (5) के अधीन जहां कोई व्यवसाय संघ न हो, वहां कर्मकारों के प्रतिनिधियों को चुनने की रीति

42. जहां कोई व्यवसाय संघ न हो, वहां धारा 42 की उपधारा (5) के खंड (ग) के अनुसरण में मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए कर्मकारों के प्रतिनिधि को संबंधित कर्मकारों के बहुमत द्वारा **प्रपत्र-इक्कीस** में पारित प्रस्ताव द्वारा चुना जाएगा, जो उन्हें मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करेगा। ऐसे कर्मकार, उन प्रतिनिधियों के कार्यों से बाध्य होंगे, जिन्हें मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जैसा भी मामला हो।

अध्याय-सात
औद्योगिक अधिकरण और औद्योगिक विवादों के समाधान के लिये तंत्र

धारा 44 की उपधारा (5) के अधीन औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति की रीति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र और सेवा

43. (1) (क) औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक एवं प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की संस्तुति पर की जाएगी।
(ख) औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सेवारत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, उच्चतर न्यायिक सेवाओं के सदस्यों तथा राज्य न्यायिक सेवाओं के सदस्यों में से की जाएगी, जो कम से कम तीन वर्ष तक जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहे हों:

परन्तु यह कि किसी भी समय न्यायिक सदस्यों की कुल संख्या राज्य में अधिकरणों के न्यायिक एवं प्रशासनिक सदस्यों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

की अन्य निबन्धन तथा शर्तें

(ग) औद्योगिक अधिकरण के प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा/उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त सदस्यों में से की जाएगी, जिन्होंने इस सेवा में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो अथवा उत्तर प्रदेश राज्य श्रम सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त सदस्यों में से, जिन्हें न्यायिक/अर्द्ध-न्यायिक कार्य में कम से कम तीन वर्ष की अवधि का अनुभव हो तथा जो अपर/उप श्रमायुक्त रह चुके हों:

परन्तु यह कि यदि भविष्य में राज्य सरकार राज्य में औद्योगिक अधिकरणों की संख्या में वृद्धि करती है, तो रिक्तियां उपर्युक्त अनुपात में भरी जाएंगी:

(2) औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक एवं प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति के प्रयोजन हेतु, राज्य सरकार प्राप्त आवेदनों पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात उपयुक्त व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जिसमें समस्त व्यक्तियों की अर्हताओं, उनका पूर्व कार्य निष्पादन तथा औद्योगिक विवादों या न्यायिक/अर्ध-न्यायिक कार्यों के निस्तारण का अनुभव स्पष्ट रूप से उल्लिखित होंगें।

(3) राज्य सरकार उप-नियम (2) के प्रयोजनार्थ चयन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश- अध्यक्ष;

(ख) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन- सदस्य;

(ग) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन- सदस्य;

(घ) विधि परामर्शी- सदस्य;

(ङ) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश- सदस्य ।

(4) चयन समिति, अपनी संस्तुति करने की प्रक्रिया अवधारित करेगी और औद्योगिक अधिकरण की आवश्यकता के दृष्टिगत अर्हता, उपयुक्तता, पूर्व कार्य निष्पादन के अभिलेख, सत्यनिष्ठा और साथ ही साथ न्याय निर्णायिक अनुभव पर विचार करने के पश्चात दो या तीन व्यक्तियों के पैनल की संस्तुति करेगी जैसा कि वह प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक समझे।

(5) न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले घटित हो, पद धारण करेगा।

(6) अधिकरण के न्यायिक एवं प्रशासनिक सदस्यों के वेतन एवं भत्ते इस प्रकार होंगे-

(क) सेवारत न्यायिक/सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के मामलें में उसे अनुमन्य विद्यमान वेतन और भत्ते एवं अन्य सेवा-शर्तें पूर्ववर्ती सेवा की भांति होंगे;

(ख) सरकारी सेवा से अधिवर्षता के पश्चात् इन नियमों के अधीन किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, सिविल सेवा नियमावली की धारा 520 के अधीन पुनर्नियोजित माना जाएगा तथा वह पेंशन की कुल धनराशि को घटाकर अंतिम आहरित वेतन की दर से वेतन पाने का हकदार होगा।

(7) न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति किरायामुक्त वास सुविधा या उस दर पर मकान किराया भत्ता के लिए हकदार होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के समान वेतन वाले समूह-क के किसी अधिकारी को अनुमन्य हो।

(8) न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति पेंशन में किसी भी अस्थायी या तदर्थ वृद्धि का हकदार नहीं होगा।

(9) यदि न्यायिक या प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति नियुक्ति के दिनांक से एक महीने की अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो राज्य सरकार उसकी नियुक्ति रद्द कर सकती है और उसके बाद रिक्त पद को प्रतीक्षा सूची के व्यक्ति से भरा जाएगा।

(10) (क) यदि राज्य सरकार को कोई लिखित और सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त होती है, जिसमें न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य के रूप में दुर्व्यवहार या कार्यों को करने में असमर्थता का कोई निश्चित आरोप लगाया जाता है, तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक जांच करेगी।

(ख) यदि प्रारंभिक जांच के आधार पर राज्य सरकार की राय है कि न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य के किसी दुर्व्यवहार या अक्षमता की सच्चाई की जांच करने के लिए उचित आधार हैं, तो वह एक जांच

गठित करेगी, जिसका नेतृत्व, चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति करेगा:

परन्तु यह कि न्यायिक सदस्य के खिलाफ जांच के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा।

(ग) जांच अधिकारी छह महीने या चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए गए अतिरिक्त समय के भीतर जांच पूरी करेगा।

(घ) जांच के समाप्ति के बाद, जांच अधिकारी राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग अपने निष्कर्ष और कारण बताए जाएंगे, साथ ही पूरे मामले पर ऐसी टिप्पणियां भी होंगी, जो वह उचित समझे।

(ङ) चयन समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) द्वारा अवधारित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगी, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी और अपनी जांच की तिथि, स्थान और समय तय करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(11) राज्य सरकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक अधिकरण से किसी भी न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य को हटा सकती है।

(12) न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित में इस आशय की नोटिस देकर अपना पद त्याग कर सकता है।

(13) राज्य सरकार, चयन समिति की संस्तुति पर, किसी भी न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य को पद से हटा सकती है, जो-

(क) दिवालिया/न्याय निर्णीत किया गया हो; या

(ख) ऐसे अपराध का सिद्धदोषी हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो; या

(ग) ऐसे न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए प्रतिकूल है:

परन्तु यह कि जहां किसी न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य को खंड (ख) से (ङ) में निर्दिष्ट किसी आधार पर हटाने का प्रस्ताव है, तो उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा:

परन्तु यह भी कि न्यायिक सदस्य को हटाने के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा।

(14) सेवाओं के निबंधनों और शर्तों से संबंधित मामले, जिनके संबंध में इस नियमावली में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात किया जाएगा।

(15) सेवानिवृत्त न्यायिक/सरकारी अधिकारी के मामले में, कार्यभार के अंत में गृह नगर से मुख्यालय और विपर्यय रूप में औद्योगिक अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अंतरण यात्रा भत्ता भी समान वेतन वाले समूह-क पद पर आसीन राज्य सरकार के अधिकारी की पात्रता के रूप में स्वीकार्य होगा।

(16) राज्य सरकार को औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तों के संबंध में इस नियमावली में से किसी भी उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी।

(17) न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, अपने पद ग्रहण करने से पहले **प्रपत्र-बाइस** में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(18) सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस नियमावली के तहत पद पर नियुक्त व्यक्ति वित्तीय पुस्तिका खंड-2 भाग-2 से 4 के सहायक नियम 197ए के तहत एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी को स्वीकार्य सभी प्रकार की छुट्टी का हकदार होगा।

धारा 44 की उप-धारा (9) के अधीन रिक्ति को भरने की रीति

44. (1) यदि किसी कारणवश औद्योगिक अधिकरण में कोई रिक्ति होती है तो उसे इस नियमावली के नियम 43 के उप-नियम (4) में विहित रीति से भरा जाएगा।

(2) राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो किसी औद्योगिक अधिकरण में नियुक्त न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य को किसी अन्य औद्योगिक अधिकरण में अंतरण कर सकती है तथा किसी औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य का अतिरिक्त प्रभार किसी अन्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य को दे सकती है।

धारा 53 की उप-धारा (1) के अधीन सुलह कार्यवाहियां आयोजित करने, उप-धारा (4) के अधीन पूर्ण रिपोर्ट की रीति

45. (1) जहां सुलह अधिकारी को प्राप्त कोई-

(क) नियम 48 या नियम 49 के अधीन हड़ताल या तालाबंदी की सूचना प्राप्त होती है; या

(ख) विद्यमान औद्योगिक विवाद के संबंध में आवेदन; या

(ग) आशंकित औद्योगिक विवाद के संबंध में सूचना, तो वह-

(एक) खंड (क) के मामले में, नाम निर्दिष्ट पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा और सुलह कार्यवाही करेगा तथा संबंधित पक्षों को ऐसे प्रयोजन के लिए बैठक की तिथि सूचित करेगा;

(दो) खंड (ख) के मामले में, नाम निर्दिष्ट पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा तथा आवेदन की जांच करेगा और यदि वह पाता है कि ऐसा विवाद राज्य सरकार के अधिकारिता से संबंधित है, तो आवेदन को संबंधित प्राधिकारी को अंतरित करेगा या अन्यथा आवेदन के साथ आगे बढ़ेगा और उसके संबंध में सुलह करेगा; और

(तीन) खंड (ग) के मामले में, नाम निर्दिष्ट पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा तथा संबंधित पक्षों को सुलह कार्यवाही शुरू करने के अपने आशय की घोषणा करते हुए एक नया नोटिस जारी करेगा।

(2) नियोजकों के प्रतिनिधि और कर्मकारों के प्रतिनिधि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस प्राप्त होने पर, सुलह कार्यवाही की पहली बैठक में उक्त विवाद के संबंध में अपने-अपने बयान प्रस्तुत करेंगे।

(3) सुलह अधिकारी बिना किसी देरी के विवाद से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाएगा और उसके गुण-दोष और सही समाधान को प्रभावित करने वाले सभी मामलों की जांच करेगा, विवाद के पक्षकारों के बीच सुलह कार्यवाही करेगा और विवाद के निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पक्षों को प्रेरित करने के उद्देश्य से वह सभी कार्य कर सकता है, जो वह उचित समझे।

(4) यदि उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सुलह कार्यवाही में कोई समझौता नहीं होता है, तो सुलह अधिकारी, सुलह कार्यवाही समाप्त होने के दिनांक से सात दिनों के भीतर, निर्दिष्ट पोर्टल पर एक रिपोर्ट अपलोड करेगा और इसकी एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक मोड या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से विवाद के पक्षों और उपयुक्त सरकार को भेजेगा। रिपोर्ट को संबंधित पक्षों को उक्त नाम निर्दिष्ट पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) यदि सुलह कार्यवाही के दौरान विवाद या विवादित मामलों में से किसी का निपटारा हो जाता है, तो सुलह अधिकारी विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों के ज्ञापन के साथ समुचित सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अलावा ऐसी रिपोर्ट और समझौता ज्ञापन को नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड भी करेगा।

(6) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, विवाद में शामिल नियोजक, कर्मचारी या व्यवसाय संघ, जैसा भी मामला हो, के निवेदन शामिल होंगे और इसमें पक्षों को सौहार्दपूर्ण समझौते पर लाने के लिए सुलह अधिकारी द्वारा किए गए प्रयास, विवाद को हल करने से पक्षों द्वारा इनकार करने के कारण और सुलह अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भी शामिल होंगे।

(7) दस्तावेजी साक्ष्य को छोड़कर, सुलह अधिकारी के समक्ष सभी साक्ष्य शपथ पत्र के रूप में दाखिल किए जाएंगे और विवाद के पक्षकार भी आवेदन या, जैसा भी मामला हो, शपथ-पत्र के रूप में उसका उत्तर या प्रत्युत्तर दायर करेंगे।

औद्योगिक अधिकरण को आवेदन तथा औद्योगिक अधिकरण द्वारा धारा 53 की उप-धारा (6) के अधीन आवेदन का विनिश्चय किये जाने की रीति।

46. (1) यदि किसी विवाद का समझौता सुलह कार्यवाहियों के दौरान नहीं होता है तो कोई भी पक्षकार **प्रपत्र-तेइस** में अधिकरण के समक्ष हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियम 45 के उप-नियम (4) के अधीन रिपोर्ट के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर यथा अपेक्षित रीति से आवेदन कर सकता है।

(2) अधिकरण को किये गये आवेदन में ऐसा विवरण संलग्न होगा जिसमे विवाद के सम्पूर्ण ब्यौरे, दस्तावेज तथा उनकी सूची और विरोधी पक्षकारों के नाम, पते, सम्पर्क संख्यायें और ई-मेल (यदि सम्भव हो) अंतर्विष्ट होंगे।

(3) आवेदक विरोधी पक्षकारों के पता सहित रजिस्ट्रीकृत लिफाफे में आवेदन की ऐसी प्रतियां दाखिल करेगा, जो विरोधी पक्षों की संख्या के बराबर हो।

(4) अधिकरण, यदि प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है कि विवाद का कारण विधिक है, तो वह विवाद का संज्ञान ले सकता है और विरोधी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए तिथि निर्धारित कर सकता है, जो यथासंभव आवेदन प्रस्तुत करने से एक माह के भीतर होगी, साथ में आवेदन और विवाद उठाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरण भी संलग्न करना होगा।

(5) यदि विपक्षी पक्षकार व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघो का परिसंघ हो तो व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघो के सचिव या महासचिव को नोटिस जारी की जायेगी और ऐसे सचिव या महासचिव को दी गई सेवा को क्रमशः संघ या परिसंघ या महासंघ को दी गई सेवा माना जाएगा।

(6) यदि अधिकरण पाता है कि आवेदन नियमानुसार नहीं है, आवेदन अधूरा है या आवेदन के साथ कथन/दस्तावेज/पता लिखा लिफाफा संलग्न नहीं है, तो वह विवाद उठाने वाले व्यक्ति को नियमों के अनुसार उसे प्रस्तुत करने का निदेश दे सकता है।

(7) जहां अधिकरण यह पाता है कि उसके निदेशों के बावजूद विवाद उठाने वाले पक्षकार ने दावे के कथन या किसी अन्य दस्तावेज की प्रति विपक्षी पक्ष या पक्षों को नहीं भेजी है, तो वह संबंधित पक्षकार को कथन की प्रति विपक्षी पक्ष या पक्षों को प्रस्तुत करने का निदेश देगा और

कथन दाखिल करने के लिए 15 दिन का विस्तार देगा, यदि अधिकरण को समय के भीतर दावे के कथन और अन्य दस्तावेज दाखिल न करने का पर्याप्त कारण मिलता है।

(8) यदि विवाद उठाने वाला पक्ष शपथ-पत्र पर आवेदन दायर करता है तो विरोधी पक्ष को शपथ-पत्र पर लिखित बयान दायर करना होगा, और यदि विरोधी पक्ष लिखित बयान दायर नहीं करता है, तो अधिकरण आवेदन में दी गई सामग्री को सत्य मान सकता है।

(9) विरोधी पक्ष या पक्ष जहां तक संभव हो, पहली सुनवाई की तारीख से तीस दिनों के भीतर दस्तावेजों और दस्तावेजों की सूची, गवाहों की सूची के साथ एक लिखित बयान दायर करेंगे और अन्य पक्षों को प्रतियां प्रदान करेंगे।

(10) लिखित बयान प्रस्तुत करने के दो सप्ताह के भीतर, अन्य पक्ष अपना प्रत्युत्तर दायर करेंगे और उनकी प्रतियां अन्य पक्षों को भेजेंगे।

(11) अधिकरण लिखित बयानों और दायर दस्तावेजों के आधार पर विवाद में निर्णय के लिए मुद्दे तैयार करेगा।

(12) साक्ष्य अधिकरण में दर्ज किए जाएंगे या शपथ-पत्र पर दायर किए जा सकते हैं और विरोधी पक्ष को शपथ-पत्र दायर करने वाले प्रत्येक अभिसाक्षी या गवाहों से जिरह करने का अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो। जहां प्रत्येक गवाह की मौखिक परीक्षा आगे बढ़ती है, अधिकरण, जो बयान किया जा रहा है उसके सार का एक ज्ञापन तैयार करेगा। मौखिक साक्ष्य दर्ज करते समय अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेश अठ्ठाइस के नियम 5 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(13) सभी पक्ष अधिकरण की पूर्व अनुज्ञा से अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

(14) साक्ष्य पूर्ण कर लिये जाने पर तत्काल सुनवाई की जा सकती है, या ऐसा कोई दिनांक तर्कों के लिए नियत किया जा सकता है, जो साक्ष्य पूर्ण होने से पंद्रह दिनों की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(15) अधिकरण समान्यत: एक समय में एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए स्थगन स्वीकृत नहीं करेगा किन्तु किसी भी स्थिति में विवाद हेतु पक्षकारों के अनुरोध पर कुल तीन स्थगन से अधिक स्थगत स्वीकृत नहीं किये जायेंगें;

परन्तु यह कि लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अधिकरण एक समय में एक सप्ताह से अधिक समय के लिये एक स्थगन किन्तु किसी भी स्थिति में विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के अनुरोध पर तीन से अधिक स्थगन स्वीकृत नहीं कर सकता है।

(16) यदि कोई पक्षकार किसी भी प्रक्रम में उपस्थित होने में व्यतिक्रम करता है या उसमें विफल रहता है, तो अधिकरण उक्त मामले में एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है, और व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार की अनुपस्थिति में आवेदन पर विनिश्चय कर सकता है;

परन्तु यह कि अधिकरण किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, अधिनिर्णय प्रस्तुत करने से पूर्व एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिये आदेश को प्रतिसंहृत कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पक्षकार की अनुपस्थित होने का आधार न्याय संगत था तो वह यथा प्रतिवादकृत मामलें में विनिश्चय करने के लिये अग्रतर कार्यवाही करेगा।

(17) अधिकरण अपने अधिनिर्णय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा संबंधित पक्षों और राज्य सरकार या इस निमित्त अधिसूचित अधिकारी को अधिनिर्णय की घोषणा के दिनांक से एक माह के भीतर संसूचित करेगा।

(18) अधिकरण ऐसे किसी व्यक्ति को समन कर सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है, जिसका साक्ष्य उसे उक्त मामले का विनिश्चय करने के लिए सारभूत प्रतीत हो और उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 384, 385 और 387 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(19) अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षों के प्रतिनिधियों को जांच, जिरह और साक्ष्य बुलाए जाने पर अधिकरण को संबोधित करने का अधिकार होगा।

(20) अधिकरण के समक्ष कार्यवाही खुली अदालत में आयोजित की जाएगी;

परन्तु यह कि अधिकरण अपने समक्ष किसी भी कार्यवाही को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का निदेश दे सकता है।

परन्तु अग्रतर यह कि अधिकरण किसी भी स्तर पर निदेश दे सकता है कि किसी भी गवाह की जांच की जाएगी, या इसकी कार्यवाही बंद कमरे में आयोजित की जाएगी।

(21) जहां अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के संबंध में धारा 49 की उप-धारा (5) के अधिकरण को परामर्श देने के लिये निर्धारक/आयुक्त नियुक्त किये जायें, वहाँ अधिकरण ऐसे निर्धारकों का परामर्श प्राप्त करेगा, किन्तु ऐसा परामर्श ऐसे अधिकरणों पर बाध्यकारी नहीं होगा।

(22) किसी अधिनिर्णय का कोई पक्षकार जो अधिनिर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रति प्राप्त करना चाहें, अधिकरण में हस्तकृत रूप में या इलेक्ट्रानिक रूप से न्यायालय स्टाम्प शुल्क के माध्यम से शुल्क निम्नलिखित रीति से जमा करने के पश्चात अधिनिर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रति प्राप्त कर सकता है

अर्थात:-

(क) अधिकरण के किसी अधिनिर्णय या उसकी किसी कार्यवाहियों में दाखिल दस्तावेज या न्यायनिर्णयन के दौरान अधिकरण द्वारा दर्ज की गई किसी कार्यवाही की प्रति प्राप्त करने के लिए शुल्क, प्रति पृष्ठ दो रुपए की दर से प्रभारित किया जायेगा;

(ख) ऐसे किसी अधिनिर्णय आदेश या दस्तावेज की एक प्रति प्रमाणित करने के लिए दो रुपए प्रति पृष्ठ की दर से अतिरिक्त शुल्क देय होगा;

(ग) जहां कोई पक्षकार ऐसे किसी अधिनिर्णय या दस्तावेज की प्रति की तत्काल परिदान के लिए आवेदन करता है, वहां इस नियम के तहत लगाए जाने वाले शुल्क के आधे के बराबर अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(23) कोई भी व्यक्ति जो विवाद का पक्षकार न हो, इस नियम के उप-नियम (22) में यथा विहित शुल्क का संदाय करने के पश्चात अधिनिर्णय या दस्तावेज की प्रतियां प्राप्त कर सकता है।

धारा 59 के अधीन नियोजक से देय

47. (1) जहां किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मकार या कर्मकारों के समूह को किसी समझौते या अधिनिर्णय के अधीन या संहिता के अध्याय नौ या अध्याय दस के उपबंधों के अधीन कोई धनराशि बकाया है, तो

धनराशि की वसूली हेतु आवेदन

कर्मकार या कर्मकारों का समूह, जैसा भी मामला हो, ऐसे देय धन की वसूली के लिए **प्रपत्र-चौबीस** में आवेदन कर सकता है

परन्तु यह कि कर्मकार द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के मामले में, या कर्मकार की मृत्यु के मामले में, मृतक कर्मकार का समनुदेशिती या उत्तराधिकारी **प्रपत्र-पच्चीस** में आवेदन करेगा।

(2) जहां कोई कर्मकार या कर्मकारों का समूह नियोजक से कोई धन या कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार है, जिसकी गणना धन के रूप में की जा सकती है, वहां कर्मकार या कर्मकारों का समूह, जैसा भी मामला हो, देय राशि या, जैसा भी मामला हो, वह राशि जिस पर ऐसे लाभ की गणना की जानी चाहिए, के अवधारण के लिए अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को **प्रपत्र-छब्बीस** में आवेदन कर सकता है, और ऐसा अधिकरण आवेदन दाखिल किए जाने की तारीख से तीन महीने से अधिक की अवधि के भीतर आवेदन पर निर्णय करेगा;

परन्तु यह कि इस उप-नियम में निर्दिष्ट कर्मकार की मृत्यु के मामले में आवेदन, मृतक कर्मकार के समनुदेशिती या उत्तराधिकारी द्वारा **प्रपत्र-सत्ताईस** में किया जाएगा।

अध्याय-आठ
हड़ताल और तालाबंदी

व्यक्तियों की संख्या जिनके द्वारा हड़ताल की सूचना दी जाएगी, वह व्यक्ति या व्यक्तिगण जिन्हें ऐसी नोटिस दी जाएगी और धारा 62 की उप-धारा (4) के अधीन ऐसी नोटिस दिये जाने की रीति

48. (1) धारा 62 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल की नोटिस औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक को **प्रपत्र-अठ्ठाईस** में दी जाएगी, जिस पर सचिव और समझौताकारी संघ के पांच निर्वाचित प्रतिनिधि या सचिव और ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान से संबंधित समझौताकारी परिषद में व्यवसाय संघ के पांच निर्वाचित प्रतिनिधि विधिवत् हस्ताक्षर करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि संबंधित सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा पृष्ठांकित करेंगे।

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति की तारीख नियम 45 के उप-नियम (1) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए नोटिस प्राप्त करने की तारीख होगी।

(3) यदि किसी औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक को उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट

हड़ताल की कोई नोटिस प्राप्त होती है, तो वह ऐसी नोटिस प्राप्त होने की तारीख से पांच दिन के भीतर संबंधित सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी सूचना देगा।

धारा 62 की उप-धारा (5) के अधीन तालाबंदी की नोटिस और उप-धारा (6) के अधीन प्राधिकार दिये जाने की रीति।

49. (1) धारा 62 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट तालाबंदी की सूचना औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक द्वारा **प्रपत्र-उन्तीस** में ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान से संबंधित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सचिव को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी, तथा उसकी एक प्रति संबंधित सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को पृष्ठांकित की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना नियोजक द्वारा औद्योगिक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी और उक्त सूचना की एक प्रति ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान के नामनिर्दिष्ट पोर्टल, यदि कोई हो, पर भी पोस्ट की जा सकेगी और सुलह अधिकारी द्वारा ऐसी नोटिस की प्राप्ति की तारीख नियम 45 के उप-नियम (1) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए सूचना प्राप्त करने की तारीख होगी।

(3) यदि नियोजक अपने द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी की नोटिस देता है, तो वह ऐसी नोटिस की तारीख से पांच दिन के भीतर संबंधित सुलह अधिकारी और श्रम आयुक्त को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी सूचना देगा।

अध्याय-नौ
कामबंदी, छंटनी और बन्दी

धारा 70 के खंड (ग) के अधीन कर्मकार की छंटनी से पूर्व नोटिस तामील किये जाने की रीति

50. यदि कोई नियोजक अपने औद्योगिक अधिष्ठान में नियोजित किसी कर्मकार, जो अन्यून एक वर्ष तक उसके अधीन निरंतर सेवा में रहा हो, की छंटनी करना चाहता हो, तो ऐसे नियोजक को ऐसी छंटनी के सम्बन्ध में नोटिस **प्रपत्र-तीस** में राज्य सरकार को तथा संबंधित क्षेत्रीय अपर श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त को ई-मेल के माध्यम से अथवा

रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा निम्नलिखित तरीके से देगा, अर्थात्-

(क) जहां किसी कर्मकार को नोटिस दिया जाता है, वहां छंटनी की सूचना उस तारीख से तीन दिन के भीतर भेजी जाएगी, जिस दिन श्रमिक को नोटिस दिया गया था;

(ख) जहां कर्मकार को कोई नोटिस नहीं दिया गया है तथा उसे इसके बदले में एक माह का वेतन दिया गया है, वहां छंटनी की सूचना उस तारीख से तीन दिन के भीतर भेजी जाएगी, जिस दिन ऐसा वेतन दिया गया था; और

(ग) जहां छंटनी किसी ऐसे समझौते के तहत की जाती है, जिसमें सेवा समाप्ति की तारीख विनिर्दिष्ट की जाती है, वहां छंटनी की सूचना राज्य सरकार को भेजी जाएगी और उसकी एक प्रति ऐसी तारीख से कम से कम एक माह पूर्व क्षेत्रीय अपर श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त को भेजी जाएगी;

परन्तु यह कि यदि सेवा समाप्ति की सहमत तारीख समझौते के तीस दिनों के भीतर है, तो छंटनी की सूचना राज्य सरकार को उसकी एक प्रति के साथ समझौते के तीन दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को भेजी जाएगी।

धारा 72 के अधीन छंटनीशुदा कर्मकारों को पुनर्नियोजन का अवसर प्रदान किये जाने की रीति

51. (1) नियोजक उस विशेष श्रेणी के सभी कर्मकारों की सूची तैयार करेगा, जिसमें से छंटनी की जानी है, तथा उस श्रेणी में उनकी सेवा की वरिष्ठता के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करेगा तथा छंटनी की वास्तविक तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व औद्योगिक अधिष्ठान के परिसर में एक सुस्पष्ट स्थान पर नोटिस बोर्ड पर उसकी एक प्रति चस्पा करेगा।

(2) जब किसी औद्योगिक अधिष्ठान में कोई रिक्ति होती है तथा ऐसी रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव से एक वर्ष के भीतर ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मकारों की छंटनी की गई हो, तो ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान का नियोजक, यदि ऐसे कर्मकार भारत के नागरिक हैं तथा उन्होंने नियोजन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है, तो उनकी सेवा वरिष्ठता के आधार पर उन्हें अन्य पर अधिमानी वरीयता देगा।

(3) नियोजक, औद्योगिक अधिष्ठान के परिसर में एक प्रमुख स्थान पर एक नोटिस बोर्ड पर रिक्तियों का विवरण प्रदर्शित करने की व्यवस्था

करेगा, जिस तिथि से ऐसी रिक्तियां भरी जानी है, कम से कम पंद्रह दिन पहले और उन रिक्तियों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ई-मेल के माध्यम से उन सभी छंटनी किए गए कर्मकारों में से प्रत्येक को देगा, जो छंटनी के समय या उसके बाद किसी भी समय उनमें से प्रत्येक द्वारा दिए गए नवीनतम पते या ई-मेल पर विचार किए जाने के पात्र हैं;

परन्तु यह कि जब ऐसी रिक्तियों की संख्या छंटनी किए गए कर्मकारों की संख्या से कम हो, तो यह पर्याप्त होगा कि नियोजक द्वारा उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूची में सबसे वरिष्ठ छंटनी किए गए कर्मकारों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जाए और ऐसे वरिष्ठतम कर्मकारों की संख्या ऐसी रिक्तियों की संख्या से दोगुनी हो:

परन्तु अग्रतर यह भी कि जहां रिक्ति एक महीने से कम अवधि की है, वहां नियोजक पर ऐसी रिक्ति की सूचना व्यक्तिगत छंटनी किए गए कर्मकारों को भेजने का कोई दायित्व नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि यदि कोई छंटनी किया गया कर्मचारी, नियोजक को लिखित रूप में पर्याप्त कारण बताए बिना, इस उप-नियम के तहत नियोजक द्वारा उसे भेजी गई नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख या तारीखों पर पुनः नियोजक के लिए खुद को पेश नहीं करता है, तो नियोजक उसे किसी भी बाद के अवसर पर भरी जा सकने वाली रिक्तियों के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(4) उप-नियम (3) के उपबंधों का अनुपालन करने के तत्काल बाद, नियोजक समझौता संघ या समझौता परिषद के घटक या औद्योगिक अधिष्ठान से जुड़े व्यवसाय संघों को, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और छंटनी किए गए कर्मकारों के नाम, जिन्हें उस उप-नियम के तहत सूचना भेजी गई है, की भी सूचना देगा:

परन्तु यह कि इस उप-नियम के उपबंधों का नियोजक द्वारा किसी भी मामले में अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है, जहां उप-नियम (1) के तहत तैयार की गई सूची में उल्लिखित प्रत्येक कर्मकार को सूचना भेजी जाती है।

धारा 74 की उप-धारा (1) के अधीन

52. (1) यदि कोई नियोजक किसी औद्योगिक अधिष्ठान को बंद करना चाहें तो उसे **प्रपत्र-तीस** में ऐसी बंदी की नोटिस राज्य सरकार को देनी होगी

आशयित बंदी के लिए नियोजक द्वारा नोटिस तामील किये जाने की रीति

और उसकी एक प्रति श्रम आयुक्त और संबंधित क्षेत्रीय अपर श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त को हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीट पोस्ट से प्रेषित करनी होगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना की एक प्रति औद्योगिक अधिष्ठानों में कार्यरत रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों या कर्मकारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भी प्रेषित की जायेगी।

अध्याय-दस

कतिपय अधिष्ठानों में कामबंदी, छंटनी एवं बंदी के संबंध में विशेष उपबंध

धारा 78 की उप-धारा (2) के अधीन नियोजक द्वारा राज्य सरकार को आशयित कामबंदी के लिए आवेदन किये जाने की रीति और ऐसे आवेदन पत्र की प्रति कर्मकारों को तामील किये जाने की रीति

53. (1) धारा 78 की उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आशयित बंदी के कारणों को उल्लिखित करते हुए आवेदन नियोजक द्वारा **प्रपत्र-इकतीस** में किया जाएगा तथा ऐसे आवेदन की एक प्रति राज्य सरकार तथा संबंधित कर्मकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या व्यक्तिगत रूप से, या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा एक साथ प्रेषित जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट आवेदन को नियोजक द्वारा औद्योगिक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर भी सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

धारा 78 की उप-धारा (7) के अधीन समीक्षा की समय-सीमा

54. (1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 78 की उप-धारा (4) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने वाले अपने आदेश की समीक्षा कर सकेगी।

(2) नियोजक या संबंधित कोई कर्मकार, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट आदेश के साथ, आदेश किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, आदेश की समीक्षा के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा और वह सरकार, आवेदन किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात उसका निपटारा करेगी।

(3) जहां राज्य सरकार, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट आदेश की अपनी ओर से समीक्षा करने का निर्णय लेती है, वहां वह आदेश किए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा निर्णय लिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटारा कर सकेगी।

धारा 79 की उप-धारा (2) के अधीन नियोजक द्वारा आशयित छंटनी के लिए राज्य सरकार को आवेदन करने की रीति तथा ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों को तामील किये जाने की रीति

55. (1) धारा 79 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन नियोजक द्वारा राज्य सरकार को **प्रपत्र-इकतीस** में किया जाएगा, जिसमें इच्छित छंटनी के कारणों को स्पष्ट रूप से हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से बताया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति श्रमिकों को हस्तकृत या इलेक्ट्रॉनिक रूप से और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भी भेजी जाएगी।

(2) नियोजक द्वारा ऐसे आवेदन को औद्योगिक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक नोटिस बोर्ड पर भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

धारा 79 की उप-धारा (6) के अधीन समीक्षा की समय-सीमा

56. (1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 79 की उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञा स्वीकृत करते हुए या उसे अस्वीकृत करते हुए आदेश की समीक्षा कर सकेगी।

(2) नियोक्ता या संबंधित कोई कर्मकार, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, ऐसे आदेश के किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर उस आदेश की समीक्षा के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा और वह सरकार ऐसे आवेदन किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात आवेदन का निपटारा करेगी।

(3) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश की समीक्षा करने का निर्णय लेती है, वहां वह अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, ऐसे आदेश के किए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा

सकेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसे निर्णय लिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटारा कर सकेगी।

धारा 80 की उप-धारा (1) के अधीन नियोजक द्वारा किसी औद्योगिक अधिष्ठान की आशयित बंदी हेतु राज्य सरकार को आवेदन किये जाने की रीति और ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों के प्रतिनिधियों को तामील किये जाने की रीति

57. ऐसे किसी नियोजक जो औद्योगिक अधिष्ठान बंद करना चाहता हो जिसके लिए संहिता का अध्याय-दस लागू होता है, को आशयित बंदी के प्रभावी होने के दिनांक से कम से कम नब्बे दिन पूर्व, राज्य सरकार को पूर्व अनुज्ञा हेतु औद्योगिक अधिष्ठान के आशयित बंदी के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, हस्तकृत रूप में या इलेक्ट्रानिक रूप से **प्रपत्र- इकतीस** में आवेदन करना होगा और साथ ही साथ ऐसे आवेदन की एक प्रति औद्योगिक अधिष्ठान में प्रचलित रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों को भी हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से तथा रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से प्रेषित की जायेगी।

धारा 80 की उप-धारा (5) के अधीन समीक्षा की समय-सीमा

58. (1) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा आवेदन किये जाने पर, धारा 80 की उप-धारा (2) के अधीन अनुज्ञा स्वीकृत करते हुए या उसे अस्वीकृत करते हुए अपने आदेश की समीक्षा कर सकेगी।

(2) नियोजक या संबंधित कोई कर्मकार उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, ऐसे आदेश के किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस आदेश की समीक्षा के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा और वह सरकार, ऐसे आवेदन किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात उस आवेदन का निपटारा करेगी।

(3) जहां राज्य सरकार, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आदेश की अपनी ओर से समीक्षा करने का निर्णय लेती है, वहां वह आदेश किए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और

संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसे निर्णय लिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटारा कर सकेगी।

अध्याय-ग्यारह
कर्मकार पुन: कौशलकरण निधि

धारा 83 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन कर्मकार पुन: कौशलकरण निधि का गठन और उसके संसाधन

59. (1) संहिता की धारा 83 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित कर्मकार पुन: कौशलकरण निधि, धारा 83 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अंशदान सहित निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-

(क) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के प्राधिकरण या उपक्रम या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त अंशदान;

(ख) राज्य सरकार या प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या उपक्रम या किसी विधि द्वारा गठित और राज्य सरकार के नियंत्रण में प्रचालनरत किसी अन्य निकाय, या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त अंशदान;

(ग) उप-नियम (3) के अनुसार इस संहिता के अधीन किसी कर्मकार या कर्मकारों की छंटनी करने वाले नियोजक से प्राप्त अंशदान।

(2) प्रत्येक नियोजक, जिसने इस संहिता के अधीन किसी कर्मकार या कर्मकारों की छंटनी की है, छंटनी के समय दस दिन के अन्दर ऐसे छंटनी किये गये कर्मकार या कर्मकारों के अन्तिम आहरित वेतन के पन्द्रह दिन के बराबर धनराशि इलेक्ट्रानिक रूप से ऐसे बोर्ड की निधि में अन्तरित करेगा।

धारा 83 की उप-धारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश कर्मकार पुन: कौशलकरण निधि के उपयोग किये जाने की रीति

60. (1) निधि का नाम एवं अन्य विवरण विभागीय वेबसाइट तथा श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) इस निधि का प्रशासन एवं संचालन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विधिवत् नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) नियम 59 के उप-नियम (2) के अधीन इस प्रकार प्राप्त निधि में अंशदान, राज्य सरकार या श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश या इस निमित्त उप-नियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा

नियोजक से निधि प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर प्रत्येक कर्मकार या कर्मकारों के खाते में इलेक्ट्रानिक रूप से अंतरित किया जाएगा, ताकि वह कर्मकार उस धनराशि का उपयोग अपने पुनः कौशलकरण विकास के लिए कर सके।

(4) नियोजक प्रत्येक छंटनी किए गए कर्मकार का नाम, प्रत्येक कर्मकार के संबंध में अंतिम आहरित पन्द्रह दिन के वेतन के समतुल्य धनराशि तथा उनके बैंक खाते का विवरण सहित सूची भी प्रस्तुत करेगा, ताकि राज्य सरकार उनके संबंधित खातों में धनराशि अंतरित कर सके।

(5) राज्य सरकार पुनः कौशलकरण निधि के पर्यवेक्षण के लिये नया पोर्टल विकसित कर सकती है।

अध्याय-बारह
अपराध और शास्तियां

धारा 89 की उपधारा (1) और (4) के अधीन राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराध के प्रशमन की रीति और किसी अपराध के प्रशमन के लिए आवेदन करने की रीति–

61. (1) धारा 89 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के प्रशमन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (जिसे आगे प्रशमन अधिकारी कहा जाएगा) की यह राय है कि संहिता के अधीन कोई अपराध जिसके लिए उक्त धारा के अधीन शमनीय है और जिसके संबंध में अभियोजन संस्थित नहीं है, अभियुक्त को नामनिर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से तीन भागों वाले **प्रपत्र-बत्तीस** में नोटिस भेजेगा।

(2) **प्रपत्र-बत्तीस** के भाग एक में प्रशमन अधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्दिष्ट करेगा-

(क) अपराधी का नाम और उसके अन्य विवरण;

(ख) अपराध का विवरण और वह धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है; और

(ग) ऐसे अपराध के प्रशमन के लिए भुगतान की जाने वाली प्रशमन राशि।

(3) **प्रपत्र-बत्तीस** के भाग दो में, प्रशमन अधिकारी अपराध का प्रशमन न किए जाने पर परिणामों को निर्दिष्ट करेगा, तथा उक्त प्रपत्र के भाग तीन में अभियुक्त द्वारा दायर किया जाने वाला आवेदन होगा, यदि वह अपराध का प्रशमन करना चाहता है।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक नोटिस में एक सतत विशिष्ट संख्या होगी, जिसमें अक्षर या अंक होंगे तथा अन्य विवरण जैसे कि संबंधित प्रशमन अधिकारी, औद्योगिक अधिष्ठान, वर्ष, स्थान तथा निरीक्षण का प्रकार आसान पहचान के उद्देश्य से होगा।

(5) अभियुक्त, जिसे उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस दिया गया है, वह **प्रपत्र-बत्तीस** के भाग तीन में विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रशमन अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज सकता है तथा प्रशमन राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या नकद, या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, नोटिस में प्रशमन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाते में जमा कर सकता है।

(6) जहां अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में अभियोजन पहले ही संस्थित किया जा चुका है, अभियुक्त ऐसे न्यायालय में अपने विरुद्ध अपराध का प्रशमन करने के लिए आवेदन कर सकता है और वह न्यायालय आवेदन पर विचार करने के पश्चात धारा 89 के उपबंधों तथा इस नियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्रशमन अधिकारी द्वारा अपराध का प्रशमन करने की अनुमति दे सकता है।

(7) यदि अभियुक्त उपनियम (5) की अपेक्षा का अनुपालन करता है, तो प्रशमन अधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई धनराशि के लिए अपराध का प्रशमन करेगा और-

(क) यदि अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व अपराध का प्रशमन किया जाता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन के लिए कोई परिवाद संस्थित नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि अपराध का प्रशमन धारा 85 के अधीन कार्यवाही लंबित रहने तक किया जाता है, तो प्रशमन अधिकारी उस धारा में निर्दिष्ट अधिकारी को प्रशमन की सूचना देगा, जो सूचना दिए जाने के पश्चात ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही बंद कर देगा; और

(ग) यदि उप-नियम (6) के अधीन अभियोजन संस्थित करने के पश्चात न्यायालय की अनुमति से अपराध का प्रशमन किया जाता है, तो प्रशमन अधिकारी मामले को बंद मानेगा तथा अपराध के प्रशमन की सूचना उस सक्षम न्यायालय को देगा,

जिसके द्वारा ऐसा प्रशमन अनुज्ञात किया गया था तथा ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा तथा अभियोजन को बंद कर देगा।

(8) प्रशमन अधिकारी राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए इस नियम के अधीन अपराध का प्रशमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय-तेरह
प्रकीर्ण

धारा 90(4) के अधीन संरक्षित कर्मकार

62. (1) किसी औद्योगिक अधिष्ठान से जुड़ा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, जिस पर संहिता के उपबंध लागू होते हैं, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल से पहले नियोजक को ऐसे व्यवसाय संघ के ऐसे अधिकारियों के नाम और पते बताएगा जो उस अधिष्ठान में कार्यरत हैं और जिन्हें ऐसे व्यवसाय संघ की राय में संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ के किसी अधिकारी की पदवी में कोई परिवर्तन ऐसे व्यवसाय संघ द्वारा ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर नियोजक को सूचित किया जाएगा।

(3) नियोजक उप-नियम (1) के अधीन व्यवसाय संघ से नाम और पते प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर और धारा 90 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के उपबंधों के अधीन, ऐसे श्रमिकों को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता देगा और ऐसे व्यवसाय संघ को, लिखित रूप में, ऐसे संचार की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता प्राप्त कर्मकारों की सूची बताएगा।

(4) जहां उप-नियम (1) के अधीन नियोजक द्वारा प्राप्त नामों की कुल संख्या धारा 90 की उप-धारा (4) के अधीन औद्योगिक अधिष्ठान के लिए स्वीकार्य संरक्षित कर्मकारों की अधिकतम संख्या से अधिक है, नियोक्ता केवल ऐसे अधिकतम संख्या के कर्मकारों को संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता देगा:

परन्तु यह कि जहां औद्योगिक अधिष्ठान में एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ हैं, नियोजक द्वारा अधिकतम संख्या को

व्यवसाय संघ के बीच इस तरह वितरित किया जाएगा कि व्यक्तिगत व्यवसाय संघों में मान्यता प्राप्त संरक्षित कर्मकारों की संख्या व्यावहारिक रूप से व्यवसाय संघों की सदस्यता के आंकड़ों के समान अनुपात में होगी, और नियोजक उस मामले में प्रत्येक संबंधित व्यवसाय संघ के अध्यक्ष या सचिव को लिखित रूप से उसे आवंटित संरक्षित कर्मकारों की संख्या की सूचना देगा:

परन्तु अग्रतर यह भी कि जहां इस उप-नियम के तहत ऐसे व्यवसाय संघ को आवंटित संरक्षित कर्मकारों की संख्या संरक्षण चाहने वाले ऐसे व्यापार संघ के अधिकारियों की संख्या से कम है, तो वह व्यापार संघ संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता दिए जाने वाले अधिकारियों का चयन करने का हकदार होगा, और ऐसा चयन उस व्यवसाय संघ द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में नियोजक की लिखित सूचना प्राप्त होने के पांच दिन के भीतर नियोजक को सूचित किया जाएगा।

(5) जहां इस नियम के तहत संरक्षित कर्मकारों की मान्यता से संबंधित किसी भी मामले में नियोजक और किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, ऐसे विवाद को संबंधित अपर/उप श्रम आयुक्त को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

धारा 91 के अधीन किसी क्षुब्ध कर्मकार द्वारा शिकायत किये जाने की रीति

63. (1) संहिता की धारा 91 के अधीन प्रत्येक शिकायत हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रपत्र-तैंतीस में की जाएगी तथा उसके साथ उतनी प्रतियां संलग्न की जाएंगी, जितनी शिकायत में उल्लिखित विपरीत पक्षों की हैं।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक शिकायत को शिकायत करने वाले कर्मचारी द्वारा या कर्मचारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो मामले के तथ्यों से परिचित होने के लिए, सुलह अधिकारी, मध्यस्थ या अधिकरण की संतुष्टि के लिए सिद्ध हो।

धारा 94 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने

64. जहां कर्मकार किसी व्यवसाय संघ का सदस्य न हो, वहां उद्योग में नियोजित किसी अन्य कर्मकार से या द्वारा सम्बद्ध किसी व्यवसाय संघ जिसमें वह नियोजित हो, के कार्यकारी सदस्य या अन्य पदाधिकारी को संहिता के अधीन ऐसे विवाद, जिसमें कर्मकार एक

के लिए कर्मकार को प्राधिकृत किये जाने की रीति

पक्षकार हो, से सम्बन्धित किसी कार्यवाही में अपना प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए **प्रपत्र-चौंतीस** में प्राधिकृत किया जा सकता है।

धारा 94 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कर्मकार को प्राधिकृत किये जाने की रीति

65. जहां नियोजक किसी नियोजक संघ का सदस्य नहीं है, वहां वह **प्रपत्र- चौंतीस** में किसी नियोजक संघ के किसी अधिकारी को, जो उस उद्योग से संबंधित है या किसी अन्य नियोजक द्वारा, जिसमें नियोजक लगा हुआ है, संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में, जिसमें नियोजक एक पक्ष है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

साक्षी का व्यय

66. प्रत्येक व्यक्ति, जो समन प्राप्त होने पर हाजिर होता है या अन्यथा उपस्थित होता है, उसी दर पर व्यय भत्ते का हकदार होगा जो उस राज्य यथा स्थिति, जहाँ ऐसी जांच, न्यायनिर्णयन या मध्यस्थता संचालित की जा रही है, के सिविल न्यायालय में साक्षियों पर लागू होती है।

संसूचना के लिए प्रकाशन

67. इस नियमावली के अधीन संदेशों और दस्तावेजों की तामील के लिए संसूचना के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, अधिकरण, प्रत्येक नियोजक जिसके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, प्रत्येक व्यवसाय संघ, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के घटक और इस नियमावली में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी, अपने-अपने लेटर हेड में, यथास्थिति, अपना ई-मेल आईडी या वेबसाइट या पोर्टल या उनमें से कोई या सभी को विनिर्दिष्ट करेंगे।

अभिलेखों, रजिस्टरों, प्रपत्रों, नोटिस और डिस्प्ले बोर्ड का अनुरक्षण

68. (1) सभी अभिलेख, रजिस्टर, प्रपत्र, नोटिस, डिस्प्ले बोर्ड और अन्य दस्तावेज जिन्हें संहिता और इस नियमावली के अधीन अनुरक्षित किया जाना आवश्यक है, उन्हें भी यथा अपेक्षित प्रारूप में या अपेक्षित जानकारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रीति से अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख, रजिस्टर, प्रपत्र, नोटिस, डिस्प्ले बोर्ड और अन्य दस्तावेज अभिलेखों के प्रतिधारण की आवश्यकता का

अनुपालन करेंगे और निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या संहिता या इस नियमावली के अधीन निमित्त विनिर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर प्रस्तुत या दिखाए जाएंगे।

आयुक्त की नियुक्ति

69. जहां धारा 59 की उपधारा (3) के अधीन उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट लाभ के मुद्रा मूल्य की गणना करने के प्रयोजनार्थ आयुक्त की नियुक्ति करना आवश्यक है, वहां अधिकरण निम्नलिखित को नियुक्त कर सकता है -

(क) उक्त धारा की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रश्न को समाविष्ट करने वाले विशिष्ट उद्योग, व्यवसाय, कारबार या क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति; या

(ख) ऐसा व्यक्ति जो किसी सिविल न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो; या

(ग) वैतनिक मजिस्ट्रेट; या

(घ) किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन गठित अधिकरण या संहिता के अधीन गठित अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का रजिस्ट्रार या सचिव।

आयुक्त आदि के लिए फीस

70. (1) अधिकरण, पक्षों से परामर्श के पश्चात नियम 69 में निर्दिष्ट आयुक्त द्वारा जांच की संभावित अवधि का अनुमान लगाएगा तथा उसके द्वारा उपगत फीस और अन्य आनुषंगिक व्यय की राशि निर्धारित करेगा।

(2) अधिकरण, आयुक्त को फीस और अन्य आनुषंगिक व्यय का भुगतान, विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे पक्ष या पक्षों द्वारा और ऐसे अनुपात में, जैसा वह उचित समझे, निकटतम कोषागार में करने का निदेश देगा।

(3) आयुक्त तब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा, जब तक कि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट राशि के कोषागार में जमा होने की रसीद अधिकरण के समक्ष दाखिल नहीं कर दी जाती है;

परन्तु यह कि अधिकरण, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, निदेश दे सकता है कि कोई अतिरिक्त राशि या राशियां ऐसे समय के भीतर और ऐसे पक्षों द्वारा कोषागार में जमा की जाएं, जैसा वह उचित समझे।

परन्तु यह भी कि अधिकरण अपने विवेकानुसार, कोषागार में ऐसी राशि जमा करने के लिए समय बढ़ा सकता है।

(4) अधिकरण किसी भी समय, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, पक्षकारों के परामर्श से आयुक्त की फीस की राशि में परिवर्तन कर सकता है।

(5) अधिकरण निदेश दे सकता है कि फीस आयुक्त को ऐसी किस्तों में और ऐसे दिनांक को वितरित की जाएगी, जैसा वह उचित समझे।

(6) इस नियम के तहत जमा की गई राशि का वितरित न किया गया शेष, यदि कोई हो, संबंधित पक्ष या पक्षों को उसी अनुपात में प्रतिदाय किया जाएगा, जिस अनुपात में वह राशि जमा की गई थी।

रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय

71 (1) धारा 59 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रत्येक आदेश में आयुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देते हुए एक तिथि दर्शाई जाएगी।

(2) यदि किसी कारण से आयुक्त को यह अनुमान हो कि उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पार हो जाने की संभावना है, तो वह उक्त तिथि की समाप्ति से पूर्व, इसके आधार बताते हुए समय विस्तार के लिए आवेदन करेगा और अधिकरण, विचार करने के पश्चात, ऐसे आवेदन पर उपयुक्त आदेश पारित करेगा;

परन्तु यह कि अधिकरण, यदि वह पर्याप्त कारण से उचित समझे, समय विस्तार प्रदान कर सकता है, भले ही उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञात समय सीमा के भीतर आयुक्त से ऐसे विस्तार के लिए कोई आवेदन प्राप्त न हुआ हो।

आज्ञा से,

(डॉ0 आशीष कुमार गोयल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1178 (1)/36-2-2026-1394213, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) नियमावली की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त नियमावली दिनांक 16अक्टूबर, 2026 को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 (खण्ड-क) में प्रकाशित कर उसकी 600 मुद्रित प्रतियाँ श्रम अनुभाग-02, 8वां तल, बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन एवं 300 प्रतियाँ श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर पेटी संख्या-220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(2) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) निजी सचिव, मा0 मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(5) विभागाध्यक्ष, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश)।

(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश)।

(8) समस्त विशेष सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(9) समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश)।

(10) समस्त अनुभाग, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अवनीन्द्र कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

प्रपत्र- 1

(धारा-2(zi)) (नियम -3 का उपनियम 7)

(सुलह कार्यवाही के दौरान या अन्यथा हुये समझोते का ज्ञापन)

पक्षकरों का नाम- .....

नियोजक(कों) का प्रतिनिधित्व- .....

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व- .....

मामले का संक्षिप्त विवरण

.....

.....

समझौते की शर्तें

1. .....

2. .....

3. .....

गवाहों के हस्ताक्षर	पक्षों के हस्ताक्षर
1.	1. .....
(नाम और पदनाम)	(नाम और पदनाम)
2.	2. .....
(नाम और पदनाम)	(नाम और पदनाम)

*सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि :

(1) क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश

(2) सुलह अधिकारी, उत्तर प्रदेश

*यदि नियोजक और उसके कर्मकारों के मध्य समझौता, संराधन कार्यवाही के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से होता है तो समझौता का ज्ञापन सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त एवं संराधन अधिकारी को भेजा जायेगा।

प्रपत्र- 2

(धारा-7(j)) [नियम 9 का उप-नियम 7]

लेखा परीक्षक की घोषणा

अधोहस्ताक्षरी को ..... (संघ) की सभी पुस्तकों और खातों तक पहुंच प्राप्त हो गई है और पूर्वगामी कथन की जांच की है और उससे संबंधित खाता वाउचरों के साथ उसका सत्यापन किया है,

अब इसे सही, विधिवत् प्रमाणित और कानून के अनुसार, टिप्पणियों के अधीन, यदि कोई हो, तो इसके साथ संलग्न पाया गया है और यह भी प्रमाणित करता हूं कि ..... (संघ) ने अपने सदस्यता रजिस्टर और खातों को उचित रूप से बनाए रखा है और सदस्य ने ..... (संघ) को अपनी सदस्यता शुल्क का भुगतान किया है जैसा कि संघ के सामान्य निधि खाते के पूर्वगामी विवरण में दिखाया गया है, टिप्पणियों के अधीन, यदि कोई हो, तो इसके साथ संलग्न।

(1) लेखा परीक्षक

(2) लेखा परीक्षक

नोट: - प्रत्येक लेखा परीक्षक को अपने हस्ताक्षर से पहले यह बताना होगा कि नियम-28 के संदर्भ में वह किस हैसियत से ट्रेड यूनियन के लेखों का लेखा परीक्षण करने के लिए योग्य है।

प्रपत्र 3

(धारा-9 (1)) (नियम 10)

ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन

.....दिनांक ..... दिन ..... 20.....

1. हम ..... के नाम से एक ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं।
2. यूनियन के मुख्य कार्यालय का पता ..... है।
3. यूनियन दिनांक ..... को अस्तित्व में आई और इस आवेदन की तारीख को इसके नाम पर ..... सदस्य हैं।
4. यूनियन ..... उद्योग (या पेशे) में लगे नियोक्ता/श्रमिकों का संघ है।
5. सदस्यों के प्रस्ताव द्वारा हमें यह आवेदन करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है

आवेदनकर्ता का नाम	हस्ताक्षर	पेशा	पता	सम्पर्क सूत्र
1.....				
2.....				
3.....				
4.....				
5.....				
6.....				
7.....				

अनुलग्नक- 1. अनुसूची I: पदाधिकारियों की सूची
2. अनुसूची II: नियमों का संदर्भ
3. अनुसूची III: संपत्ति और देयताएं

4. अनुसूची IV: पदाधिकारियों की सहमति

5. आवेदक द्वारा हलफनामा

6. ट्रेड यूनियन के संविधान या उपनियमों की प्रति, साथ ही ऐसे संविधान या उपनियमों को अपनाने वाले प्रस्ताव की प्रति।

7. आवेदक को आवेदन करने के लिए अधिकृत करने वाले प्रस्ताव की प्रति।

8. ट्रेड यूनियन के महासंघ या केंद्रीय संगठन के मामले में, प्रत्येक सदस्य यूनियन के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव की प्रति।

सेवा में,
रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन
उत्तर प्रदेश

प्रपत्र - 4

(धारा 8 (1)(a) नियम 11)

(ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश के समक्ष ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए शपथ पत्र का मानक प्रारूप)

साक्षीगण प्रस्तुत करते हैं:

1. कि हमने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 8 की उपधारा (1) सहपठित नियम 10 के अंतर्गत ट्रेड यूनियन के पंजीकरण हेतु .....(ट्रेड यूनियन का प्रस्तावित नाम) नाम से आवेदन किया है।

2. कि हम उक्त यूनियन के पंजीकरण हेतु आवेदन करने हेतु विधिवत् प्राधिकृत हैं।

3. कि आवेदन की विषय-वस्तु तथा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज सत्य एवं सही हैं तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

4. कि यूनियन के नाम के किसी वैध दावेदार के मामले में, हम रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, उ.प्र. के निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र समर्पित कर देंगे तथा यूनियन का नाम बदल देंगे।

5. कि किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारी को कभी भी भारतीय न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है तथा कारावास की सजा नहीं दी गई है।

6. कि प्रपत्रों एवं अनुसूचियों तथा अन्य दस्तावेजों के अनुसार दिए गए सभी विवरण सत्य हैं।

7. कि संघ का दायरा _____ (प्रतिष्ठान का नाम) के कर्मचारियों के लिए होगा।

8. कि _____ (प्रतिष्ठान का नाम) में _____ कर्मचारी काम कर रहे हैं और जिनमें से _____ कर्मचारी हमारे संघ के सदस्य हैं।

9. कि मैं इस आवेदन के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित अन्य दस्तावेज और/या सूचना प्रस्तुत करूंगा।

10. कि यह मेरा सच्चा कथन है और इसमें कुछ भी नहीं छिपा है और इसका कोई भी हिस्सा झूठा नहीं है।

11. कि यदि प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना/दस्तावेज झूठा, तुच्छ या गलत पाया जाता है तो प्राधिकारी मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. कि सत्यापन के लिए ट्रेड यूनियन सदस्यों की सूची सत्यापित आधार संख्या के साथ हलफनामे के साथ संलग्न है और किसी भी सदस्य को आधार साझा करने के लिए मजबूर नहीं किया गया है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	पेशा	पता	सम्पर्क सूत्र
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

सत्यापन

यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त हलफनामे की विषय-वस्तु मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

दिनांक ...../...../.....(दिन/ माह/ वर्ष)

आवेदक(ओं) के हस्ताक्षर

अनुसूची-1

पदाधिकारियों की सूची

क्रम संख्या	पद	नाम	उम्र	पता	पेशा
1.					
2.					

नोट: अनुसूची में संघ की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों (सभी मानद या अस्थायी सदस्यों सहित) के नाम दर्ज करें, जैसा कि कॉलम III में दर्शाया गया है, कार्यकारिणी के सदस्यों के रूप में उनके पदों के अलावा उनके द्वारा धारित किसी भी पद (जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि) के नाम दर्ज करें।

अनुसूची-2

नियमों का संदर्भ

विभिन्न मामलों के लिए प्रावधान करने वाले नियमों की संख्या नीचे कॉलम-1 में दी गई है:-

मामला	नियम संख्या
1	2
संघ का नाम	
जिन उद्देश्यों के लिए संघ की स्थापना की गई है	
वे उद्देश्य जिनके लिए संघ की सामान्य निधि लागू होगी	

वे उद्देश्य जिनके लिए संघ की नागरिक और राजनीतिक निधि (यदि कोई हो) लागू होगी	
सदस्यों की सूची का रखरखाव	
अधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा सदस्यों की सूची के निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी सुविधाएँ	
सामान्य सदस्यों का प्रवेश	
मानद या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश	
वे शर्तें जिनके तहत सदस्य नियमों द्वारा सुनिश्चित लाभों के हकदार हैं	
वे स्थितियाँ जिनके अंतर्गत जुर्माना या ज़ब्ती लगाई या भिन्न की जा सकती है	
वह तरीका जिससे नियमों में संशोधन, परिवर्तन या रद्द किया जाएगा	
जिस प्रकार कार्यकारिणी के सदस्यों तथा संघ के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति व हटायी जायेगी	
निधि की सुरक्षित अभिरक्षा	
खातों का वार्षिक ऑडिट	
अधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा खाता बहियों के निरीक्षण की सुविधाएँ	
जिस तरीके से संघ को भंग किया जा सकता है	

अनुसूची-3

(यदि पंजीकरण के लिए आवेदन की तारीख से एक वर्ष से कम समय पहले संघ अस्तित्व में आया हो तो इसे भरने की आवश्यकता नहीं है)

देनदारियों और परिसम्पत्ति का विवरण.....दिन.....माह.....वर्ष

देयताएं	रू0	सम्पत्ति	रू0
सामान्य निधि की राशि	.....	नकद	.....
राजनीतिक निधि की राशि	.....	कोषाध्यक्ष के पास.....	
लिए गये ऋण	.....	सचिव के हाथों में.....	
		..... बैंक में	
		..... बैंक में	
		प्रतिभूतियों की सूची	.....
		अदत्त सदस्यता देय	.....
		ऋण	.....

देय ऋण.....

अन्य देयताएं
(स्पष्ट उल्लेख किया जाये)

अचल सम्पत्ति .....

सामान व फर्नीचर .....
अन्य परिसम्पत्तियां .....
(स्पष्ट उल्लेख किया जाये)

कुल देयताएं .....

कुल परिसम्पत्ति .....

प्रतिभूतियों की सूची

विवरण	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य (खाता बंदी की तिथि को)	के हाथों में

हस्ताक्षर

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....

अनुसूची-4

एतद्द्वारा ..... (व्यवसाय संघ का नाम) के पदाधिकारी चुने जाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।

हस्ताक्षर पद का नाम

पर हस्ताक्षर किये

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

प्रपत्र- 5

(धारा-9(2)) (नियम 13)

ट्रेड यूनियन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

पंजीयन संख्या -

यह प्रमाणित किया जाता है कि .....को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत ट्रेड यूनियन के रूप में आज .....दिनांक.....माह.....वर्ष को पंजीकृत किया गया है।

रजिस्ट्रार की मुहर

रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स, उत्तर प्रदेश ।

प्रपत्र 6

(धारा-9(3)) (नियम 14)

ट्रेड यूनियनों का रजिस्टर

1. क्रम संख्या	
2. संघ का नाम	
3. प्रधान कार्यालय का पता	
4. पंजीकरण की तिथि	
5. आवेदन प्रपत्र की संख्या	
6. आवेदन करने वाले सदस्यों की सूची पंजीकरण	
7.	संघ के पदाधिकारी

संघ के पदाधिकारियों का नाम	कार्यालय में प्रवेश का वर्ष	नाम	प्रवेश के समय उम्र	पता	पेशा	कार्यालय त्यागने का वर्ष	कार्यकारिणी की सदस्यता के अतिरिक्त अन्य पद दिनांक सहित
	1	2	3	4	5	6	7
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							
(6)							
(7)							

प्रपत्र 7

(धारा-9(5)) (नियम 15)

ट्रेड यूनियन द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र वापस लेने या निरस्त करने के लिये आवेदन

ट्रेड यूनियन का नाम.....

पता.....

पंजीयन संख्या.....

पंजीयन दिनांक.....दिन.....माह.....वर्ष

सेवा में,

ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार, उ0प्र0।

उपर्युक्त ट्रेड यूनियन चाहता है कि ट्रेड यूनियन अधिनियम-1926/औद्योगिक संबंध संहिता-2020 के तहत उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र वापस लिया जाये या रद्द किया जाये। दिनांक.....माह.....वर्ष..... को विधिवत रूप से आयोजित एक आम सभा* में पारित प्रस्ताव इस प्रकार है।

(यहाँ प्रस्ताव की सटीक एवं सच्ची प्रति दी गयी है।)

(हस्ताक्षरित)

अध्यक्ष/महासचिव

*यदि आमसभा की बैठक में नही, तो बतायें कि अनुरोध पर किस प्रकार निर्णय लिया गया है।

प्रपत्र- 8

(धारा-11(1) (3)) [नियम 18 का उपनियम (1)]

ट्रेड यूनियन में परिवर्तन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, उ0प्र0 को सूचना

1. पहले से पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम और पता .....

.....

2. पंजीयन की संख्या व दिनांक .....

3. दिनांक.....पर स्थान.....पर श्री/सुश्री.....की अध्यक्षता में आयोजित साधारण सभा में कार्यकारिणी में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। इस तिथि को संघ की कुल सदस्यता.....थी, जिसमें से .....सदस्यों ने उक्त बैठक में भाग लिया। इस बैठक में इन परिवर्तनों को सर्वसम्मति/बहुमत से पारित किया गया।

(A) पदाधिकारियों में परिवर्तन

पद	नाम	आयु	पता	व्यवसाय
1	2	3	4	5

(B) संघ के नाम में परिवर्तन

(i) संघ का वर्तमान नाम-

(ii) संघ का प्रस्तावित नाम-

(C) संघ के संविधान या उपनियमों में किया गया परिवर्तन

विद्यमान नियम या उपनियमों की क्रम संख्या	मौजूदा नियम या उपनियम	प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम या उपनियम

हस्ताक्षर हस्ताक्षर	
पूर्व अध्यक्ष/सभापति अध्यक्ष/सभापति	निर्वाचित
पूर्व महासचिव/सचिव महासचिव/सचिव	निर्वाचित

नोट:-

(1) यदि अध्यक्ष/सभापति एवं महासचिव/सचिव के हस्ताक्षर प्राप्त न हो सकें तो इसका पर्याप्त कारण बताया जायेगा।

(2) यदि किसी पदाधिकारी के त्यागपत्र के कारण कार्यकारिणी में परिवर्तन हुआ है तो ऐसे त्यागपत्र की प्रमाणित प्रति इस प्रपत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

(3) संघ द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित प्रति इस प्रपत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

प्रपत्र-9

(धारा-11(1) (3)) [नियम 18 का उपनियम (1)]

ट्रेड यूनियन के पंजीकरण विवरण में परिवर्तन का रजिस्टर

1. यूनियन का नाम- .....

2 पंजीकरण संख्या व दिनांक- .....

3. बैठक की तारीख, जिसमें परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया गया है- .....

4. पदाधिकारियों का नाम- .....

क्रम संख्या	पद का नाम	पदाधिकारी का नाम	उम्र	पता	पेशा/पदनाम औद्योगिक स्थापना
1	2	3	4	5	6

5. परिवर्तन-

हस्ताक्षर/मुहर
अपर/उप रजिस्ट्रार

प्रपत्र- 10

(धारा-14(3)(4) (नियम-21 का उपनियम-3(a))

ट्रेड यूनियन को वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद का सदस्य घोषित करने के लिये आवेदन

यूनियन का नाम .....

पता .....

दिनांक .....दिन.....माह.....वर्ष

सेवा में,

औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक,
पता-.....

प्रिय महोदय,

मैं सविनय निवेदन करता हूँ कि उपर्युक्त ट्रेड यूनियन को वार्ताकार संघ/औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिये वार्ताकार परिषद के सदस्य के रूप में घोषित किया जाना है, अर्थात्.....औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 14 की उपधारा (3)/(4) के तहत, पता....., और मेरा अनुरोध है कि इसे रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में तद्नुसार पंजीकृत किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित विवरण और अन्य दस्तावेज की एक प्रति संलग्न है।

2. यूनियन को उत्तर प्रदेश के ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या.....के तहत दिनांक.....को पंजीकृत किया गया था।

3. संघ के नियमों की प्रति संलग्न है।

4. संघ के प्रधान कार्यालय का पता, जहाँ सभी पत्र व्यवहार किये जा सकते है, वह है .....

5. उक्त संघ में नामिक प्रतिष्ठान में .....सदस्य है और यह नामित औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का .....प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है।

आपका विश्वासी
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।

प्रपत्र- 11
(धारा-14(3)(4) (नियम-21 का उपनियम-4(g))
वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के सदस्य का रजिस्टर

क्र0 सं0 / प्रवेश सं0	वार्ताकार संघ का नाम	वार्ताकार परिषद के सदस्य संघ का नाम वार्ताकार संघ	कार्यालय का पता	पंजीकरण की तिथि	वर्तमान पदाधिकारियों के नाम	सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7

औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम	औद्योगिक प्रतिष्ठान का पता	श्रमिकों की कुल संख्या, जो ट्रेड यूनियन के सदस्य है।	श्रमिकों का प्रतिशत, जो वार्ताकार संघ/वार्ताकार परिषद के सदस्य है।	रजिस्ट्रार द्वारा घोषण की तिथि	अन्य कोई जानकारी	टिप्पणी
8	9	10	11	12	13	14

रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र- 12

(धारा-22(1)) [नियम 25]

ट्रेड यूनियन विवादों के निर्णय के लिये आवेदन का प्रारूप

औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष.....

बनाम

(आवेदक का नाम एवं पदनाम)

और

(विपक्षी पक्ष/पक्षों का नाम एवं पदनाम)

ट्रेड यूनियन विवाद का संक्षिप्त विवरण ट्रेड यूनियन विवादों के निर्णय के लिये आवेदन का प्रारूप (विवाद के विशिष्ट मामलों का उल्लेख किया जा सकता है) जो औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन विवाद से सम्बद्ध और सुसंगत है।)

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

यह सत्यापित किया जाता है कि आवेदन की विषय वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

कर्मकार (कर्मकारों) का नाम और
हस्ताक्षर या विवाद उठाने वाले व्यवसाय संघ के
अधिकारी/विवाद के पक्षकार

प्रपत्र- 13

(धारा-24(2)(3)) [नियम 26 का उपनियम (1) देखें]

ट्रेड यूनियनों के समामेलन की सूचना

(a) पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम.....पंजीकरण की संख्या.....

(b) पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम.....पंजीकरण की संख्या..... (इसी प्रकार यदि दो या दो से अधिक हो)।

(पता) .....

दिनांक.....दिन.....माह.....वर्ष

सेवा में,

रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स, उ0प्र0।

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा-24 की उप धारा (3) की आवश्यकताओं के अनुसार, उपर्युक्त ट्रेड यूनियनों में से प्रत्येक के सदस्यों ने एक ट्रेड यूनियन के रूप में एक साथ एकीकृत होने का संकल्प लिया है।

और उक्त समामेलन की शर्तें निम्नलिखित है। (शर्तें बताएं) ।

और यह इरादा है कि ट्रेड यूनियन को अब से .....कहा जायेगा।

इस नोटिस के साथ एकीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों की एक प्रति संलग्न है, जो कि ..... के नियम (यदि हों) है।

(सात सदस्यों और प्रत्येक ट्रेड यूनियन के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित)

(हस्ताक्षर) 1. सचिव

2.

3.

4. सदस्य

5.

प्रपत्र- 14

(धारा-26(1)(a) (नियम 28)

31 दिसम्बर, 20....को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ट्रेड यूनियन द्वारा वार्षिक रिटर्न (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 26 के तहत निर्धारित)

संघ/महासंघ का नाम.....

पंजीकृत प्रधान कार्यालय का पता.....

पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या.....

1. ट्रेड यूनियन फेडरेशन द्वारा किया जाने वाला रिटर्न.

*A. वर्ष के आरंभ में संबद्ध यूनियनों की संख्या .....

*B वर्ष के दौरान शामिल होने वाली यूनियनों की संख्या .....

*C वर्ष के दौरान असंबद्ध यूनियनों की संख्या .....

D वर्ष के अन्त में संबद्ध यूनियनों की संख्या .....

2. केवल ट्रेड यूनियन द्वारा किया जाने वाला रिटर्न

A. वर्ष के आरंभ में पुस्तकों पर सदस्यों की संख्या .....

B. वर्ष के दौरान शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या .....

.....(एक साथ जोड़ें)

C. वर्ष के दौरान छोड़ने वाले सदस्यों की संख्या .....

.....(घटाना)

D. वर्ष के अन्त में रजिस्टर में दर्ज सदस्यों की कुल संख्या .....

पुरूष .....

स्त्री .....

ट्रांसजेंडर .....

(संबद्ध और असंबद्ध यूनियनों का नाम अलग-अलग विवरण में दिया जाना चाहिए "ए", "बी" और "सी")

राजनीतिक योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या .....

धनराशि .....

इस रिटर्न के प्रेषण की तारीख तक सही किए गए ट्रेड यूनियन के नियमों की एक प्रति संलग्न है।

दिनांक.....

सचिव

देनदारियों और परिसंपत्तियों का विवरण .....दिन .....20.....

देयतायें	धनराशि	सम्पत्ति	धनराशि
सामान्य निधि की राशि	.....	नकद	.....
राजनीतिक निधि की राशि	.....	कोषाध्यक्ष के हाथ में.....	
लिया गया ऋण	.....	सचिव के हाथ में.....	
अन्य देनदारियां (निर्दिष्ट की जाएं)	.....	बैंक के हाथ में.....	
		प्रतिभूतियाँ निम्न सूची के अनुसार:	.....
		अवैतनिक सदस्यता देय.....	
		देय ऋण.....	
		अचल सम्पत्ति	.....
		सामान और फर्नीचर	.....
		अन्य सम्पत्तियाँ (निर्दिष्ट की जाएं	.....
कुल देयतायें	.....	कुल सम्पत्ति	.....

प्रतिभूतियों की सूची

विवरण	अंकित मूल्य	खरीद मूल्य	जिस तारीख को खाता बनाया गया, उस दिन बाजार मूल्य	के हाथ में

कोषाध्यक्ष

सामान्य निधि खाते

आय		व्यय	
	धनराशि (रुपये में)		धनराशि (रुपये में)
वर्ष के आरम्भ में		अधिकारियों के वेतन, भत्ते और व्यय का शेष.....	
सदस्यों से अंशदान.....प्रति सदस्य		अधिष्ठान का वेतन, भत्ते और व्यय.....	
प्रतिष्ठान.....			
दान.....		ऑडिटर शुल्क.....	
पत्रिकाओं, पुस्तकों नियमों आदि की बिक्री		कानूनी खर्च.....	
निवेश पर ब्याज		व्यापार संचालन में विवाद व्यय.....	
विविध श्रोत से आय (निर्दिष्ट की जाये)		राज्य विवादों से उत्पन्न हानि के लिये सदस्यों को दिया जाने वाला मुआवजा.....	
.....		अंतिम संस्कार, वृद्धावस्था, बीमारी, बेरोजगारी लाभ आदि	
		शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक लाभ.....	
		पत्रिकाओं के प्रकाशन की लागत.....	
		किराया, दरें और कर, स्टेशनरी, मुद्रण और डाक.....	
		अन्य व्यय (निर्दिष्ट की जाये).....	
		वर्ष के अन्त में शेष धनराशि.....	
कुल		कुल	

राजनीतिक निधि खाते

आय		व्यय	
	धनराशि (रू0 में)		धनराशि (रू0 में)
वर्ष के आरम्भ में शेष राशि		इस संहिता की धारा 15(2) में निर्दिष्ट वस्तु पर किया गया भुगतान (निर्दिष्ट किया जाना है)	
सदस्यों से योगदान		प्रबंधन का व्यय (निर्दिष्ट किया जाना है)	
.....प्रति सदस्य			
		वर्ष के अन्त में शेष धनराशि.....	
कुल		कुल	

कोषाध्यक्ष

लेखा परीक्षक की घोषणा

अधोहस्ताक्षरी को ..... (संघ) की सभी पुस्तकों और खातों तक पहुंच प्राप्त हो गई है और पूर्वगामी कथन की जांच की है और उससे संबंधित खाता वाउचरों के साथ उसका सत्यापन किया है, अब इसे सही, विधिवत् प्रमाणित और कानून के अनुसार, टिप्पणियों के अधीन, यदि कोई हो, तो इसके साथ संलग्न पाया गया है और यह भी प्रमाणित करता हूं कि ..... (संघ) ने अपने सदस्यता रजिस्टर और खातों को उचित रूप से बनाए रखा है और सदस्य ने ..... (संघ) को अपनी सदस्यता शुल्क का भुगतान किया है जैसा कि संघ के सामान्य निधि खाते के पूर्वगामी विवरण में दिखाया गया है, टिप्पणियों के अधीन, यदि कोई हो, तो इसके साथ संलग्न।

(1) लेखा परीक्षक।

(2) लेखा परीक्षक।

नोट: प्रत्येक लेखा परीक्षक को अपने हस्ताक्षर से पहले यह बताना होगा कि नियम-28 के संदर्भ में वह किस हैसियत से ट्रेड यूनियन के खातों का लेखा परीक्षण करने के लिये योग्य है।

पद छोड़ने वाले अधिकारी

वर्ष के दौरान अधिकारियों के निम्नलिखित परिवर्तन किये गये है:-

नाम	कार्यालय	पद	छोड़ने की तिथि

अधिकारी नियुक्त किये गये

नाम	जन्मतिथि	निजी पता	व्यक्तिगत व्यवसाय	संघ में पद का नाम	वह तिथि जब पद का नाम कॉलम 5 में नियुक्ति की गयी	कार्यकारिणी की सदस्यता के अतिरिक्त अन्य पदों की सूची तथा तिथियाँ
1	2	3	4	5	6	7

संघ के सचिव

प्रपत्र- 15

(धारा 27/2) (नियम 29 का उपनियम 2)

मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/महासंघ के अनुमोदन हेतु आवेदन

सेवा में,

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश

जी0टी0 रोड, कानपुर।

महोदय,

1. हम उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध संहिता नियमावली, 2020 के नियम 29 के उपनियम (1) के अधीन.....नाम से मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ या महासंघ के लिये आवेदन करते है।

2. महासंघ के प्रधान कार्यालय का पता.....है।

3. महासंघ दिनांक .....को आयोजित घटक संघों के प्रतिनिधियों की आम बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार अस्तित्व में आया। (प्रतिलिपि संलग्न)

4. उपरोक्त आम बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची नीचे दी गयी है।

क्रम संख्या	प्रतिभागियों के नाम	उस स्थायी संघ का नाम, जिसके वे सदस्य हैं।	निवास का पता	अन्य विवरण

5. मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/महासंघ के पदाधिकारियों सहित कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची भी नीचे दी गयी है।

क्र0	नाम	कार्यकारिणी में पदनाम	उम्र	पता	व्यवसाय	नियुक्ति की तिथि	अन्य विवरण

6. मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/महासंघ से सम्बद्ध पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की सूची भी नीचे दी गयी है।

क्र0	यूनियन का नाम	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि	अध्यक्ष का नाम	सचिव का नाम	सम्बद्धता संख्या	सम्बद्धता का दिनांक	अन्य विवरण

7. *संघ के संविधान/नियमों की दो साफ-सुथरी टाइप की हुई मुद्रित प्रतियाँ भी संलग्न है।

8. राज्य में ट्रेड यूनियन/फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स के कुल.....सदस्य है। (जिलावार और ट्रेड यूनियनवार सदस्यता)

आपका विश्वासी,

अध्यक्ष के हस्ताक्षर.....

सचिव के हस्ताक्षर.....

*सभी संलग्नकों पर मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/फेडरेशन के सचिव द्वारा उसकी आधिकारिक मुहर के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

प्रपत्र- 16 (भाग A & B)

(धारा-27(2)) [नियम 29 के उपनियम (4) का खण्ड (a)]

मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ के मुख्यालय में परिवर्तन की सूचना

भाग-ए

मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/फेडरेशन के पते में परिवर्तन की सूचना

अधिसूचना की संख्या और तारीख जिसके तहत अनुमोदन किया गया.....

पता.....

दिनांक.....

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उपर्युक्त मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/महासंघ का मुख्यालय.....से हटा दिया गया है तथा अब.....(शहर या कस्बा या जिला) में स्थित है।

दिनांक.....

सचिव के हस्ताक्षर.....

भाग-बी

मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/फेडरेशन के पते में परिवर्तन की सूचना

उपर्युक्त मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/महासंघ की कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये है-

पद छोड़ने वाले कार्यकारी समिति सदस्यों का विवरण

नाम	कार्यालय का पता	पद त्यागने की तिथि	कार्यालय	अन्य विवरण

नियुक्त नये कार्यकारी समिति सदस्यों का विवरण

नाम	उम्र	कार्यकारिणी में पदनाम	पता	व्यवसाय	नियुक्त की तिथि	अन्य विवरण

सचिव के हस्ताक्षर.....

सेवा में,

1. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश

जी0टी0 रोड, कानपुर।

2. रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।

प्रपत्र-17

(धारा-27(2) (नियम 29 के उपनियम (4) का खण्ड (ख))

राज्य स्तरीय संघ/ महासंघ से सम्बद्ध/ मान्यता प्राप्त संघो की सूची

फेडरेशन का नाम.....

उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध संहिता नियम, 2020 के नियम 30 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) की अपेक्षा के अनुसार, 31 दिसम्बर 20.....की स्थिति में उपर्युक्त/मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ महासंघ से सम्बद्ध संघों के नाम नीचे दिये गये है:-

क्रं0	यूनियन का नाम	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि	नाम			सम्बद्धता की संख्या	सम्बद्धता का दिनांक	अन्य विवरण
				अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष			

सचिव के हस्ताक्षर व मुहर

सेवा में,

1. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।

प्रपत्र- 18

(धारा 34) (नियम 37 देखें))

(प्रमाणित स्थायी आदेश के लिये पंजीकरण रजिस्टर)

भाग- 1

औद्योगिक प्रतिष्ठान

अद्वितीय एवं सतत संख्या	औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम	औद्योगिक प्रतिष्ठान की प्रकृति	औद्योगिक स्थापन के संचालन के क्षेत्र	क्या स्थायी आदेश (क) मॉडल स्थायी आदेश है, या (ख) माना गया स्थायी आदेश है या (ग) प्रमाणित स्थायी आदेश अपील दायर करने की तिथि है	स्थायी आदेश को अपनाने की तिथि या मान्य प्रमाणीकरण की तिथि या प्रमाणीकरण /प्रमाणीकरण की तिथि
1	2	3	4	5	6

अपील दायर करने की तिथि	निर्णय की तिथि और प्रकृति	अपील पर संशोधन किया गया, यदि कोई हो	अपील पर निपटाए गये स्थायी आदेशों की प्रति भेजने की तिथि	कोई अन्य प्रासंगिक विवरण
7	8	9	10	11

भाग- 2

प्रमाणित स्थायी आदेश की प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप से संलग्न करें।

प्रपत्र- 19

(धारा-40(प) (नियम 39 देखें))

नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित सेवाशर्त में परिवर्तन की सूचना

सेवायोजक का नाम.....

पता.....

दिनांक.....

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 40 के अनुसार, मैं/हम सभी संबंधितों को नोटिस देते हैं कि उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कामगारों पर लागू इस नोटिस के साथ संलग्न सेवा की शर्तों में ..... से प्रभावी होने का मेरा/हमारा इरादा है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

अनुलग्नक

यहाँ लागू किए जाने वाले परिवर्तन/परिवर्तनों का उल्लेख करें।

प्रति अग्रेषित की गयी:

1. पंजीकृत ट्रेड यूनियन/वार्ता संघ/वार्ता परिषद के सचिव
2. सम्बन्धित सुलह अधिकारी
3. सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उ0प्र0।
4. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड हेतु।

प्रपत्र-20

(धारा-42(3) (नियम 40 का उपनियम (1))

स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिये समझौता

नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व.....

कामगारों/कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व.....

पक्षों के बीच निम्नलिखित विवाद को .....की मध्यस्थता के लिये संदर्भित करने पर सहमति हुई है। (यहाँ मध्यस्थ का नाम और पता निर्दिष्ट करें):

(1) विवाद में विशिष्ट मामले।

(2) विवाद में शामिल पक्षों का विवरण, जिसमें शामिल प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम और पता शामिल है।

(3) यदि कर्मचारी स्वयं विवाद में शामिल है तो उसका नाम या संबंधित कर्मचारी या कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन का नाम।

(4) प्रभावित उपक्रम में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या।

(5) विवाद से प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना वाले कर्मचारियों की अनुमानित संख्या।

*हम इस बात पर भी सहमत हैं कि मध्यस्थों के बहुमत के निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी होंगे/यदि मध्यस्थों की राय समान रूप से विभाजित है, तो वे किसी अन्य व्यक्ति को निर्णायक के रूप में नियुक्त करेंगे जिसका निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

मध्यस्थ (मध्यस्थ) राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस समझौते के प्रकाशन की तिथि से ..... (यहां पार्टियों द्वारा सहमत अवधि निर्दिष्ट करें) की अवधि के भीतर या लिखित रूप में हमारे बीच आपसी समझौते द्वारा बढ़ाए गए ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर अपना निर्णय देंगे। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर निर्णय नहीं दिया जाता है, तो मध्यस्थता का संदर्भ स्वतः ही रद्द हो जाएगा और हम नए मध्यस्थता के लिए बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

गवाहन,

1. .....
2. पक्षों के हस्ताक्षर.....
   नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व.....
   कामगारों/कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व.....

प्रति अग्रेषित की गयी:

1. सम्बन्धित सुलह अधिकारी, उ0प्र0।
2. सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उ0प्र0।
3. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, उ0प्र0 सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लखनऊ।

*जहाँ लागू हो-

पक्षों के हस्ताक्षर.....
नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व.....
कामगारों/कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व.....

प्रपत्र- 21

(धारा-42(5)(सी) (नियम 42)

ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मध्यस्थ/मध्यस्थों के समक्ष श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने का प्रस्ताव, जहाँ कोई ट्रेड यूनियन नहीं है

.....(प्रतिष्ठान का नाम और पता) में श्रमिकों का कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है, इसलिए हम निम्नलिखित व्यक्ति को धारा 42 की उपधारा (5) के परन्तुक खंड (i) के उपखंड (सी) के अंतर्गत एक समझौते पर हस्ताक्षर करने और मध्यस्थ या मध्यस्थ (मध्यस्थों) के समक्ष कार्यवाही में स्वयं का प्रतिनिधित्व करने या मध्यस्थता के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कर रहे हैं

क्रम सं0	प्रतिनिधियों का नाम	पदनाम	पता
1			
2			
3			
4			
5			

उपर्युक्त प्रतिनिधि की सभी कार्यवाहियाँ हमारे लिए बाध्यकारी होंगी-

क0सं0	श्रमिक का नाम	हस्ताक्षर	क्र0सं0	श्रमिक का नाम	हस्ताक्षर
1			27		
2			28		
3			29		
4			30		
5			31		
6			32		
7			33		
8			34		
9			35		
10			36		
11			37		
12			38		
13			39		
14			40		
15			41		
16			42		
17			43		

18			44		
19			45		
20			46		
21			47		
22			48		
23			49		
24			50		
25			51		
26			52		

हम, इसके द्वारा प्राधिकरण और प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हैं

प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

1....

2.....

3.....

4.....

5.....

प्रपत्र- 22

(धारा-44(5) (नियम 43 का उपनियम (17) देखें))

भाग- I

राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के पद हेतु

शपथपत्र

मैं, ... औद्योगिक न्यायाधिकरण ..... के न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के रूप में नियुक्त किया गया हूँ, ईश्वर के नाम पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/शपथ लेता हूँ कि मैं औद्योगिक न्यायाधिकरण ..... के न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और विवेक के अनुसार, बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से करूँगा और मैं संविधान और देश के कानूनों को बनाए रखूँगा।

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

दिनांक.....

भाग- II

(न्यायाधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/सदस्य के लिये गोपनीयता की शपथ का प्रपत्र

मैं, ... औद्योगिक न्यायाधिकरण का न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) नियुक्त किया गया हूँ, ईश्वर के नाम पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/शपथ लेता हूँ कि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई मामला नहीं बताऊंगा या प्रकट नहीं करूंगा जो मेरे विचाराधीन लाया जाएगा या राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण का नाम) के न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के रूप में मुझे ज्ञात होगा, सिवाय इसके कि न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए ऐसा आवश्यक हो।

औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और कर्तव्यनिष्ठा से, अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और विवेक के अनुसार, बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के निर्वहन करूंगा और मैं संविधान और देश के कानूनों की मर्यादा बनाए रखूंगा।

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

दिनांक.....

प्रपत्र- 23

(धारा-53(6) (नियम 46 का उपनियम (1) देखें))

संराधन अधिकारी द्वारा अनिस्तारित मामलों में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन का प्रारूप

औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष.....(औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम और स्थान)

के बीच

.....(आवेदक का नाम और पता)

और

.....(विपक्षी पक्ष/पक्षों का नाम और पता)

मेरे/हमारे एवं विपक्षी पक्ष/पक्षों के मध्य निम्नलिखित विवाद विद्यमान है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

.....

.....(विवाद का संक्षिप्त विवरण)/उपर्युक्त विवाद पर सुलह अधिकारी के समक्ष बातचीत की गई है, लेकिन सुलह कार्यवाही के दौरान कोई समझौता नहीं हुआ। इसलिये मैं/हम विवाद को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और प्रार्थना करते है कि इस विवाद को न्यायाधिकरण में स्वीकार किया जाए और उचित एवार्ड पारित करने का अनुरोध किया जाये।

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर
(नाम और पता)

सत्यापन

यह सत्यापित किया जाता है कि आवेदन की विषय-वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर
(नाम और पता)

प्रपत्र- 24

(धारा-59 (नियम 47 का उपनियम 1)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आवेदन)

सेवा में,

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उ0प्र0 ।
2. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त,.....(यहाँ क्षेत्र का नाम लिखें)

महोदय,

मुझे/हमें यह बताना है कि मैं/हम औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अध्याय IX और X के प्रावधानों के तहत मेसर्स ..... से रुपये .....(शब्दों में) की राशि प्राप्त करने के हकदार हूं/हैं/दिनांक ..... द्वारा पारित किये गए एवार्ड के अनुसार/दिनांक ..... के अनुसार उक्त मेसर्स ..... और उनके कर्मचारी के बीच विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से हुए समझौते के अनुसार।

मैं/हम आगे यह भी कहते हैं कि मैंने/हमने प्रबंधन को उक्त राशि के लिए पंजीकृत डाक द्वारा डिमांड नोटिस भेजा था, जिसका प्रबंधन ने न तो भुगतान किया है और न ही मुझे/हमें भुगतान करने की पेशकश की है, जबकि एक पखवाड़ा बीत चुका है। राशि का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

मैं/हम अनुरोध करते हैं कि उक्त राशि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रबंधन के लिए वसूल की जाए तथा मुझे/हमें यथाशीघ्र भुगतान किया जाए।

आवेदकों के हस्ताक्षर

पता.....

निवास.....

दिनांक.....

संलग्नक

(यहाँ दावा की गयी राशि का विवरण दर्शाएं)

प्रपत्र- 25

(धारा-59 (नियम 47 का उपनियम 1))

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी श्रमिक द्वारा या मृतक श्रमिक के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन)

सेवा में,

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उ0प्र0।
2. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त,.....(यहाँ क्षेत्र का नाम लिखें)

महोदय,

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....यह बताना चाहता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अध्याय IX और X के प्रावधानों के तहत मेसर्स ..... से रुपये .....(शब्दों में) की राशि प्राप्त करने का हकदार हूँ/था/द्वारा दिए गए दिनांक ..... के पंचाट के अनुसार/उक्त मेसर्स .....और उनके कर्मचारी के बीच विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से दिनांक .....को हुए समझौते के अनुसार।

मैं आगे यह भी अवगत कराता हूँ कि मैंने प्रबंधन को उक्त राशि के लिए पंजीकृत डाक से डिमांड नोटिस भेजा था, जिसका प्रबंधन ने न तो भुगतान किया है और न ही मुझे भुगतान करने की पेशकश की है, जबकि एक पखवाड़ा बीत चुका है। राशि का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

मैं अनुरोध करता हूं कि उक्त राशि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रबंधन से वसूल की जाए और मुझे यथाशीघ्र भुगतान किया जाए।

मुझे यह आवेदन करने तथा उसे देय उपरोक्त राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए .....(यहां श्रमिक का नाम डालें) द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया गया है।

मैं मृतक श्रमिक का उत्तराधिकारी/अधिकारी हूं तथा उसे देय उपरोक्त राशि का भुगतान प्राप्त करने का हकदार हूं।

अधिकृत व्यक्ति/उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर

निवास.....

दिनांक.....

पता.....

संलग्नक

(यहाँ दावा की गयी राशि का विवरण दर्शाएं)

प्रपत्र- 26

(धारा-59 (नियम 47))

(औद्योगिक संबंध संहिता,2020 की धारा 59 की उपधारा (2) के अन्तर्गतआवेदन)

राज्य सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष.....
और.....के बीच

(1) आवेदक/आवेदकों के नाम.....
(2) सेवायोजक का नाम.....

याचिकाकर्ता(ओं).....मैसर्स.....के एक कार्यकर्ता हैं। याचिकाकर्ता(ओं) ने हस्ताक्षर किये हैं, वे.....के कार्यकर्ता/कर्मचारी हैं तथा मेसर्स.....से संलग्न विवरण में उल्लिखित धन/लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

यह प्रार्थना की जाती है क न्यायाधिकरण याचिकाकर्ता(ओं) को देय राशि/राशियों का निर्धारण करने की कृपा करें।

आवेदक(ओं) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

पता.....
निवास.....
दिनांक.....

संलग्नक

(यह देय धनराशि या अर्जित लाभों का विवरण उनकी स्वीकार्यता के मामले के साथ दिया गया है।)

प्रपत्र- 27

(धारा-59 (नियम 47))

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उपधारा (2) के तहत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन, जो मृतक कर्मचारी का उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी द्वारा अधिकृत है)

राज्य सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष.....
और.....के बीच

(1) आवेदक/आवेदकों के नाम.....
(2) सेवायोजक का नाम.....

मैं/हम मृतक कर्मचारी के समनुदेशिती हैं और उसकी ओर से आवेदन करने के हकदार हूँ/हैं।

श्री/श्रीमती.....मैसर्स.....के पूर्व कर्मचारी, उक्त मैसर्स.....से संलग्न विवरण में उल्लिखित धन/लाभ प्राप्त करने के हकदार है।

यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायाधिकरण मृतक कर्मचारी को देय राशि/राशियों का निर्धारण करने की कृपा करें।

श्रमिक का नाम और पता.....

उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर

पता.....

निवास.....

दिनांक.....

संलग्नक

(इसमें देय धनराशि या उपार्जित लाभों का विवरण तथा उनकी स्वीकार्यता का मामला दिया गया है।)

प्रपत्र- 28

(धारा-62(4)) (नियम 48(1))

(पंजीकृत ट्रेड यूनियन/वार्ताकार यूनियन या वार्ताकार परिषद द्वारा हड़ताल का नोटिस)

सेवा में,

.....(नियोक्ता का नाम)

प्रिय महोदय,

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 62 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, मैं/हम आपको यह नोटिस देते हैं कि मैं/हम अनुलग्नक में बताए गए कारणों से दिनांक .....को हड़ताल बुलाने/हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखते है।

दिनांक.....को आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव के तहत श्रमिकों के पांच प्रतिनिधियों का विधिवत् निर्वाचन हुआ। (प्रस्ताव की प्रति संलग्न है)

(कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम)

दिनांक.....

सादर,

(पंजीकृत ट्रेड यूनियन/वार्ताकारी संघ/ वार्ताकारी परिषद के सचिव)

अनुलग्नक

मामले का विवरण/हड़ताल बुलाने के प्रस्ताव के कारण .....

.....

प्रतिलिपि:

1. सुलह अधिकारी,.....(सम्बन्धित सुलह अधिकारी)
2. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ0प्र0.....
3. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय), उ0प्र0।
5. श्रम ब्यूरों।

प्रपत्र- 29

(धारा-62(5) (6)) (नियम 49 का उपनियम (1)))

(औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला तालाबंदी का नोटिस)

औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं नियोक्ता का नाम.....

पता.....

दिनांक.....

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 62 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, मैं/हम सभी सम्बन्धितों को नोटिस देते हैं कि मेरा/हमारा इरादा अनुलग्नक में बतायें गये कारणों से दिनांक .....से मेरे/हमारे प्रतिष्ठान के .....विभाग(विभागों)/अनुभाग(अनुभागों) में तालाबंदी करने का है।

हस्ताक्षर.....

नाम और पदनाम.....

अनुलग्नक

कारणों का विवरण

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के सचिव.....
2. सुलह अधिकारी.....
3. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ0प्र0.....
4. श्रम आयुक्त, उ0प्र0।
5. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उ0प्र0।
6. श्रम ब्यूरों।

प्रपत्र- 30

(धारा-70(सी), 74(1)) (नियम 50 एवं 52))

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IX के प्रावधानों के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली छंटनी/बंदी की सूचना)

औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नि..का नाम.....

पता.....

श्रमिक पहचान संख्या.....

दिनांक.....

(नोट -बंदी करने/छंटनी की सूचना बंदी करने/छंटनी शुरू होने के क्रमशः 60 दिन/ 30 दिन पहले राज्य सरकार को दी जायेगी)

सेवा में,

सचिव, उ0प्र0 शासन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लखनऊ।

महोदय,

1. *(छंटनी) (क) इस संहिता की धारा 70(सी) के तहत, मैं/हम आपको सूचित करते हैं कि मैंने/हमने कुल.....श्रमिकों में से .....श्रमिकों की छंटनी करने का निर्णय लिया है, जो.....(दिनांक/माह/वर्ष) से प्रभावी है।

या

*(बंद करना) (ख) इस संहिता की धारा 74(1) के अन्तर्गत मैं/हम आपकों सूचित करता हूँ कि मैंने/हमने.....(औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम) या उपक्रम को.....(दिनांक/माह/वर्ष) से बंद करने का निर्णय लिया है। उपक्रम के बंद होने के कारण जिन श्रमिकों की सेवाएं समाप्त हो जायेगी उनकी संख्या.....(श्रमिकों की संख्या) है।

2. छंटनी/बंद करने का कारण है.....

3. सम्बन्धित कर्मचारी (कर्मचारियों)* को इस संहिता की धारा 70* के खण्ड (क)/धारा 75* की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपेक्षित दिनांक.....(दिनांक/माह/वर्ष) को एक माह का लिखित नोटिस दिया गया।

या

कर्मचारी(ओं) को .....(दिन/माह/वर्ष) को नोटिस के बदले एक माह का वेतन दिया गया है, जैसा कि संहिता की धारा 70 के खण्ड (क)/धारा 75 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

4. छंटनी एक समझौते के अनुसरण में की जा रही है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

5. औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या.....है और छंटनी से प्रभावित होने वाले कुल लोगों की संख्या नीचे दी गई है:

छंटनी किये जाने वाले कामगारों की श्रेणी और पदनाम	काम करने वालों की संख्या	
	कार्यरत	छंटनी की जानी
1	2	3

6. मैं/हम घोषण करते है कि सम्बन्धित कर्मचारी (ओं) को नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले या उसके बाद इस संहिता की धारा 70/धारा 75 के अन्तर्गत देय मुआवजे के साथ उनकी सभी देनदारियों का भुगतान कर दिया गया है/कर दिया जायेगा।

या

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के सम्बन्ध में दिवालियापन की कार्यवाही चल रही है और मैं/हम सम्बन्धित कानूनों के तहत उन्हें देय मुआवजे के साथ-साथ सभी बकाया राशि का भुगतान करूंगा/करेंगे।

7. *(छंटनी) मैं/हम एतद्वारा घोषण करते हैं कि सम्बन्धित कर्मचारी (ओं) की इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में छंटनी कर दी गयी है/की जायेगी।

8. *मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि इस मामले में किसी भी न्यायालय में कोई मामला लंम्बित नहीं है, और यदि हाँ, तो उसका विवरण संलग्न है।

9. *मैं/हम घोषण करते हैं कि इस नोटिस और अनुलग्नकों में मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है, मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ/हैं और इस मामले में कोई तथ्य/सामग्री नहीं छिपाई गई है।

आपका विश्वासी

हस्ताक्षर

(नियोक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम मुहर सहित)

(*जिसकी हड़ताल लागू नहीं होती)

(**संख्याओं को अंको और शब्दों दोनों में दर्शाएं)

(***नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रति संलग्न की जाएगी)

अनुलग्नक

बंद करने/ छंटनी के कारणों का विवरण.....

.....

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ0प्र0।
2. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. रोजगार अधिकारी, रोजगार कार्यालय (सम्बन्धित रोजगार कार्यालय का पूरा पता दर्ज करें)
4. प्रतिष्ठान/उपक्रम में कार्यरत सभी पंजीकृत ट्रेड यूनियन/श्रमिकों के अधिकृत प्रतिनिधि।

प्रपत्र- 31

(धारा- 78(2), 79(2), 80(1)) (नियम 53, 55 एवं 57))

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय X तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत नियोक्ता/औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली ले-ऑफ (कामबंदी)/ कामबंदी को जारी रखने /छंटनी/बंद करने की अनुमति के लिये आवेदन)

औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता का नाम.....

पता.....

श्रमिक पहचान संख्या.....

दिनांक.....

(नोट - आवेदन राज्य सरकार को नीचे बताए अनुसार भेजा जायेगा)

1. कामबंदी: इच्छित छंटनी से कम से कम 15 दिन पहले।
2. कामबंदी जारी रखना - पहले की छंटनी की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले।
3. छंटनी: छंटनी की इच्छित तिथि से कम से कम 60 दिन पहले।
4. तालाबंदी: समापन की इच्छित तिथि से कम से कम 90 दिन पहले।)

सेवा में,

सचिव, उ0प्र0 शासन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लखनऊ।

महोदय,

1. *(कामबंदी) (क) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78(2) के अन्तर्गत, 'मैं/हम, 'मेरे/हमारे प्रतिष्ठान (विवरण अनुलग्नक-1 में दिया जायेगा) में नियोजित कुल....."श्रमिकों में से ....."श्रमिकों को .....(दिनांक/माह/वर्ष) से कामबंदी करने की अनुमति के लिए आवेदन करता/करती है।

या

*(कामबंदी जारी रखना (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 78(3) के अन्तर्गत, मैं/हम, मेरे/हमारे प्रतिष्ठान में कुल छंटनी किये गये श्रमिकों में से ....."श्रमिकों की कामबंदी जारी रखने की अनुमति के लिये आवेदन करता/करते हैं (विवरण अनुलग्नक-1 में दिया जाएगा) जो .....(दिनांक/माह/वर्ष) से प्रभावी होगी।

या

*(छंटनी) (ग) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 79(2) के अन्तर्गत, मैं/हम, मेरे/हमारे प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल.....श्रमिकों में से (विवरण अनुलग्नक-1 में दिया जाएगा) श्रमिकों की .....(दिनांक/माह/वर्ष) से अपेक्षित छंटनी हेतु अनुमति के लिये आवेदन करता/करते है।

या

*(बंदी करना) (घ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 80(1) के अन्तर्गत, मैं/हम आपको सूचित करते है कि मैं/हम उपक्रम को.....(औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम) (विवरण अनुलग्नक-1 में दिया जाएगा) को .....(दिनांक/माह/वर्ष) से बंद करने

का इरादा रखते हैं। उपक्रम के बंद होने के कारण जिन श्रमिकों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, उनकी संख्या.....है (श्रमिकों की संख्या)

(कामबंदी/ कामबंदी की निरंतरता) सम्बन्धित कर्मचारी (ओं) को इस संहिता की धारा 78(2)/धारा 78(3)* के अन्तर्गत अपेक्षित लिखित नोटिस.....(दिन/माह/वर्ष) को दिया गया।

या

(छंटनी/बंदी) से सम्बन्धित कर्मचारी (ओं) को इस संहिता की धारा 79/धारा 80* के अन्तर्गत अपेक्षित रूप से .....(दिन/माह/वर्ष) को एक माह का लिखित नोटिस दिया गया।

या

(छंटनी/बंदी) से सम्बन्धित कर्मचारी(ओं) को इस संहिता की धारा 79/धारा 80* के अन्तर्गत.....(दिन/माह/वर्ष) को एक माह का लिखित नोटिस दिया गया।

2. प्रभावित श्रमिक (ओं) का विवरण अनुलग्नक-2 में दिया गया है।

3. (छंटनी) 'मैं/हम एतद्वारा घोषण करते हैं कि संबंधित श्रमिकों की इस संहिता की धारा 71 और 72 के अनुपालन में छंटनी की जायेगी।

4. *मैं/हम घोषणा करते हैं कि संबंधित कर्मचारी (ओं) को इस संहिता की धारा 67 के साथ पठित धारा *78(10)/धारा *79/ धारा 80 के अन्तर्गत उन्हें देय सभी बकाया राशि और प्रतिकर का भुगतान नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले या उस पर कर दिया *गया है/कर दिया जाएगा।

या

*मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के सम्बन्ध में दिवालियापन की कार्यवाही चल रही है, और 'मैं/हम सम्बन्धित कानूनों के तहत उन्हें देय मुआवजे के साथ-साथ सभी बकाया राशि का भुगतान करेंगे।

5. *मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस मामले में किसी भी न्यायालय में कोई मामला लम्बित नहीं है, और यदि हाँ, तो उसका विवरण संलग्न है।

6. *मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस नोटिस और संलग्नकों में 'मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है, 'मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और मामले में कोई तथ्य/सामग्री छिपाई नहीं गयी है।

कृपया मांगी गई अनुमति प्रदान की जाए।

भवदीय,

(निपोक्ता का नाम/
अधिकृत प्राधिकारी द्वारा मुहर
सहित"

(*जिसकी हड़ताल लागू नहीं होती)
(**संख्याओं को अंको और शब्दों दोनों में दर्शाएं)
(***नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रति संलग्न की जाएगी)

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ0प्र0।
2. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. रोजगार अधिकारी, रोजगार कार्यालय (सम्बन्धित रोजगार कार्यालय का पूरा पता दर्ज करें)
4. प्रतिष्ठान/उपक्रम में कार्यरत सभी पंजीकृत ट्रेड यूनियन/श्रमिकों के अधिकृत प्रतिनिधि।

अनुलग्नक- ।

(कृपया प्रत्येक विवरण के विरूद्व उत्तर दें)

1.	उपक्रम का नाम, पूरा डाक पता, ई-मेल, मोबाइल और लैंडलाइन नंबर। (क) कॉर्पोरेट पहचान संख्या (ख) माल और सेवा कर पहचान संख्या (जी.एस.टी.आई.एन.)	
2.	उपक्रम की स्थिति- (1) क्या यह राज्य सार्वजनिक क्षेत्र/निगम/विदेशी बहुलांश कंपनी/संयुक्त क्षेत्र उद्यम आदि है। (2) क्या यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/साझेदारी फर्म है। (3) यदि यह बड़े औद्योगिक घराने से संबंधित है, तो कृपया नियंत्रक समूह का उल्लेख करें और यदि यह विदेशी बहुलांश कंपनी है, तो विदेशी होल्डिंग की सीमा का उल्लेख करें। (4) क्या उपक्रम लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत है और यदि हां, तो लाइसेंसिंग/पंजीकरण प्राधिकारी का नाम और लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या।	
3.	(क) छंटनी के लिए प्रस्तावित प्रभावित श्रमिकों के नाम और पते/औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के लागू होने से पहले छंटनी किए गए श्रमिकों के नाम और पते और उनमें से प्रत्येक की छंटनी की तारीखें। (ख) छंटनी के लिए प्रस्तावित प्रभावित श्रमिकों के नाम और पते। (ग) प्रस्तावित बंद से प्रभावित श्रमिकों की कुल संख्या और श्रेणियां, उनके नाम और पते सहित। (घ) उप मद (क), (ख) या (ग) में निर्दिष्ट श्रमिकों के कर्तव्यों की प्रकृति, जैसा भी मामला हो, वे इकाइयां/अनुभाग/दुकानें जहां वे काम कर रहे हैं या कर रहे थे और उनके द्वारा प्राप्त मजदूरी।	
4.	विनिर्माण वस्तुएं और अनुसूचित उद्योग/उद्योग जिनके अंतर्गत वे आते हैं	
5.	स्थापित क्षमता, लाइसेंस प्राप्त क्षमता और उपयोग की गई क्षमता से संबंधित विवरण	
6.	(i) पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक उत्पादन, मदवार	

	(ii) पिछले बारह महीनों के लिए महीनेवार उत्पादन के आंकड़े (iii) पिछले 12 महीनों में प्रत्येक महीने के अंतिम दिन स्टॉक की स्थिति (iv) पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक बिक्री के आंकड़े और पिछले बारह महीनों के लिए महीनेवार बिक्री के आंकड़े, मदवार और मूल्यवार दोनों	
7.	कार्य प्रगति परः मदवार और मूल्यवार	
8.	उत्पादों या उसके किसी घटक को उतारने या उप-ठेके पर देने से संबंधित कोई भी व्यवस्था	
9.	अगले छः माह और एक वर्ष की अवधि के लिए तथा उक्त एक वर्ष की समाप्ति के बाद की अवधि के लिए ऑर्डर बुक की मदवार और मूल्यवार स्थिति	
10.	एक सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या, प्रतिदिन शिफ्टों की संख्या तथा प्रत्येक शिफ्ट में श्रमिकों की संख्या	
11.	पिछले तीन वर्षों के बैलेंस शीट, लाभ और हानि खातों सहित प्रतिष्ठान / उपक्रम की लेखापरीक्षा रिपोर्ट	
12.	(क) एक दूसरे से जुड़ी हुई कंपनियों या एक ही प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के नाम (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान अंतर-कॉर्पोरेट निवेश और परिवर्तनों के बारे में विवरण। (ग) उपक्रम के किसी भी निदेशक और अधिकारी का हित जो समान या समान प्रकार का उत्पाद बनाता है। (घ) उपक्रम के लिए कच्चे माल और घटकों की खरीद में शामिल संगठनों/व्यक्तियों के साथ निदेशकों और अधिकारियों का हित	
13.	उपक्रम में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या (श्रेणीवार), तथा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत परिभाषित श्रमिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों की संख्या	
14.	उत्पादन की कुल लागत में श्रमिकों की मजदूरी का प्रतिशत	
15.	पिछले तीन वर्षों में प्रशासनिक, सामान्य और विक्रय लागत/प्रति वर्ष तथा कुल लागत में उसका प्रतिशत	
16.	(क) पिछले तीन वर्षों में की गई छंटनी/छंटनी का ब्यौरा (उस छंटनी को छोड़कर जिसके लिए अनुमति मांगी गई है) जिसमें ऐसी छंटनी/छंटनी की अवधि, प्रत्येक छंटनी/छंटनी में शामिल कामगारों की संख्या और उसके कारण शामिल हैं। (ख) प्रस्तावित छंटनी/छंटनी जिसके लिए अनुमति मांगी गई है, के कारण प्रत्याशित बचत	
17.	(क) क्या छंटनी किए गए किसी भी कर्मचारी को पुनः रोजगार दिया गया है, और यदि हां, तो कब? ब्यौरा दें	

	(ख) क्या छंटनी किए जाने वाले प्रस्तावित कर्मचारियों की श्रेणियों के संबंध में वरिष्ठता सूची रखी गई है और यदि हां, तो प्रभावित कर्मचारी का ब्यौरा और स्थिति क्या है, जिसमें सेवा की टूटी हुई अवधि सहित उनकी सेवा अवधि का संकेत दिया गया है?	
18.	निम्न में कमी के कारण बचत को प्रभावित करने का कोई प्रस्ताव- (i) प्रबंधकीय पारिश्रमिक (ii) बिक्री संवर्धन लागत, और (iii) सामान्य प्रशासन व्यय	
19.	पिछले बारह महीनों के लिए मालसूची की स्थिति-मद-वार और मूल्य-वार (तैयार उत्पादों, घटकों और कच्चे माल के संबंध में मालसूची को अलग-अलग मद-वार और मूल्य-वार दर्शाया जाना है।)	(बंद होने की स्थिति में भरा जाना है)
20.	पिछले तीन वर्षों की विक्रय व्यवस्था तथा पिछले बारह महीनों में विक्रय व्यवस्था में कोई परिवर्तन।	
21.	कच्चे माल और घटकों की खरीद व्यवस्था	
22.	(क) प्रस्तावित छंटनी/छंटनी/बंद करने के कारण, जिसके लिए अनुमति मांगी गई है। (ख) प्रस्तावित छंटनी/छंटनी/बंद करने से बचने के लिए अब तक किए गए विशिष्ट प्रयास, जिसके लिए अनुमति मांगी गई है।	
23.	कोई अन्य प्रासंगिक विवरण जो छंटनी/छंटनी जारी रखने/छंटनी/बंद करने से संबंधित हो	

*जो भी लागू न हो, उसे काट दें।

अनुलग्नक- II

(प्रभावित श्रमिकों का विवरण)

क्र0 सं0	यूएएन/ सीएमपीएफओ	श्रमिक का नाम	श्रेणी (अत्यधिक कुशल/अर्धकुशल /अकुशल	वह तारीख, जिससे आप उक्त प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता में/के साथ सेवा में हैं	आवेदन की तिथि पर वेतन	अन्य विवरण
1.						
2.						
3.						

प्रपत्र-32

(धारा-89(1)(4)) (नियम 61)

(पहली बार अपराध करने वाले नियोक्ता/व्यक्ति को नोटिस)

अधोहस्ताक्षरी, कंपाउंडिंग अधिकारी, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 89 के प्रयोजनों के लिए, आपको सूचित करता है कि आपके खिलाफ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इस संहिता के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपराध करने का आरोप लगाया गया है।

भाग- I

1. अपराधी नियोक्ता/व्यक्ति का नाम और पता .....
2. प्रतिष्ठान का पता .....
3. अपराध का विवरण .....

.....

4. संहिता की वह धारा, जिसके अन्तर्गत अपराध किया गया है .....
5. अपराध के शमन हेतु भुगतान की जाने वाली शमन राशि आवश्यक है

.....

भाग- II

आपको सलाह दी जाती है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 89 के साथ नियम 61 के साथ पठित अपराध को कम करने के लिए इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतरउपरोक्त उल्लिखित राशि, इस नोटिस के भाग- III में विधिवत भरे हुए आवेदन के साथ जमा करें।

यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आपको कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 87 के तहत मुकदमा दायर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

(प्रशमन अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान:

भाग- III

1. आवेदक का नाम (नियोक्ता/व्यक्ति का नाम जिसने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 (2020 का 35) के तहत अपराध किया है) का उल्लेख किया जाना चाहिए .....
2. आवेदक का पता .....
3. अपराध का विवरण .....

.....

4 संहिता की वह धारा, जिसके अन्तर्गत अपराध किया गया है

.....

5 जमा की गई कंपाउंडिंग राशि का विवरण (इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेनरेट की गई रसीद संलग्न करें)

.....

6. उपर्युक्त अपराधों के उल्लंघन के लिए दायर किए गए अभियोजन का विवरण दिया जा सकता है

.....

7. क्या अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया है, यदि किया है तो अपराध का पूरा विवरण

.....

.....

8. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रदान करना चाहता है

.....

.....

आवेदक
(नाम एवं हस्ताक्षर)

दिनांक:
स्थान:

प्रपत्र- 33
(धारा-91) [नियम 63 का उपनियम (1)]
धारा 91 के तहत सेवा की शर्तों में बदलाव के संबंध में शिकायतें।

के समक्ष

1. सुलह अधिकारी .....
2. पंच .....
3. ट्रिब्यूनल .....

के बीच में

.....(शिकायतकर्ता का नाम व पता)

और

.....विपक्षी पक्ष का नाम व पता)

शिकायतकर्ता यह शिकायत करने के लिए निवेदन करता है कि विपक्षी पक्ष औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की

धारा 90 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी है/रहा है जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

.....

.....

(यहां संक्षेप में विवरण दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कथित उल्लंघन किस तरीके से हुआ है और

वह आधार जिस पर नियोक्ता के आदेश या कार्य को चुनौती दी गई है)

शिकायतकर्ता तदनुसार प्रार्थना करता है/ प्रार्थना करते हैं कि सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/न्यायाधिकरण ऊपर दी गई शिकायत पर मध्यस्थता करने या निर्णय लेने और उस पर ऐसा आदेश या आदेश पारित करने में प्रसन्न हो जो वह उचित और उचित समझे।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के तहत आवश्यक शिकायत की प्रतियों की संख्या और उसके अनुलग्नक यहां प्रस्तुत किए गए हैं।

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक.....

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि ऊपर पैराग्राफ... में जो कहा गया है वह मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और ऊपर पैराग्राफ में जो कहा गया है वह प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा गया है और मुझे विश्वास है कि यह सच है। इस सत्यापन पर मेरे द्वारा .....दिन.....20.....को हस्ताक्षर किया गया है।

हस्ताक्षर या सत्यापन करने वाले
व्यक्ति के अंगूठे का निशान

प्रपत्र- 34

(धारा-94(1)(2)) [नियम 64 एवं 65]

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में प्रतिनिधित्व हेतु किसी कर्मकार, कर्मकारों के समूह, नियोजक या नियोजकों के समूह द्वारा प्राधिकार

समक्ष- प्राधिकारी

(यहां संबंधित प्राधिकारी का उल्लेख करें)

संदर्भ संख्या ..... सन् .....

विवाद के मामले में

श्री..... (कर्मकार)

बनाम

.....(नियोजक)

मैं/हम,..... एतद्द्वारा श्री/सुश्री ..... (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम) को उपर्युक्त मामले में मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकारी के समक्ष; दस्तावेज दाखिल करने या उनका निरीक्षण करने हेतु; पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र दाखिल करने हेतु; मेरे/हमारे पक्ष में समझौता करार या किसी अन्य लिखत पर

हस्ताक्षर करके मामले को प्रस्तुत करने, प्रतिवाद करने या समझौता करने हेतु, स्थगन मांगने हेतु; आवश्यक होने पर अभिवचन और/या आवेदन दाखिल करने हेतु; या मेरे/हमारे हित के अनुकूल कोई भी कार्य करने हेतु तब तक प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं जब तक उपर्युक्त मामला अन्तिम रूप से निस्तारित नहीं हो जाता। यदि यह प्राधिकार मेरे/हमारे द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, तो सभी कार्य अप्रवर्तनीय हो जायेंगे।

मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूँ/देते हैं कि जहाँ तक इस मामले का संबंध है, मैं/हम अपने उपर्युक्त प्रतिनिधियों के कृत्यों से विधिक रूप से बाध्य रहूँगा/रहेंगे। उपर्युक्त रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, बिना किसी नोटिस के और बिना कारण बताए किसी भी समय इस प्राधिकार को निरस्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

दिनांक

कृते

(प्राधिकार देने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम एवं हस्ताक्षर)

द्वारा स्वीकार

(प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, पता और हस्ताक्षर)